

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2011—ज्येष्ठ 27, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2011

क्र. ई. 5-644-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएस, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश को दिनांक 13 से 18 जून 2011 तक. छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-736-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अरुण कुमार भट्ट, आयएस, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 20 से 30 जून 2011 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अरुण कुमार भट्ट की अवकाश की अवधि में श्री राजीव रंजन, भा.प्र.से., आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,

मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अरुण कुमार भट्ट द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अरुण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरुण कुमार भट्ट, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2011

क्र. ई. 5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस, प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को दिनांक 30 मई से 10 जून 2011 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 मई एवं 11, 12 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश की अवधि में श्रीमती वीरा राणा, भा.प्र.से., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती वीरा राणा, प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. ई. 5-370-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 30 मई से 10 जून 2011 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 मई एवं 11, 12 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है।

(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. पी. सिंह, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई. 5-795-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जॉन किंग्सली ए. आर., आयएएस, कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 13 से 25 जून 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. की अवकाश अवधि में श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आय.ए.एस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण, कलेक्टर, जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जॉन किंग्सली ए. आर., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. ई. 5-670-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएस, सचिव, “कार्मिक”, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 2 से 4 जून 2011 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, “कार्मिक”, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2011

क्र. ई. 1-168-2011-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2011 की तालिका के अनुक्रमांक-4 श्रीमती सुधा चौधरी, भा.प्र.से. (1991), के संबंध में आदेश निम्नानुसार पढ़ा जाए—

“श्रीमती सुधा चौधरी, भा.प्र.से. (1991), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.”

भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

क्र. ई. 5-862-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. सिबी चक्रवर्ती, आयएस, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 4 से 17 जून 2011 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सिबी चक्रवर्ती, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. ई. 5-496-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिल कुमार जैन, आयएस, विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 6 से 10 जून 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 11, 12 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-802-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएस, अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 जून 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 18, 19 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 जून 2011

क्र. ई. 5-859-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत यादव, आयएस, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुलताई, जिला बैतूल को दिनांक 8 से 17 जून 2011 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुलताई, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-739-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएस, आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय को दिनांक 6 से 10 जून 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 11, 12 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हीरालाल त्रिवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2011

क्र. एफ. 19-48-2011-एक-4.—राज्य शासन, विधान सभा क्षेत्र 56-जबेरा, जिला दमोह के उप चुनाव 2011 के लिये शासकीय मुद्रणालय में मतपत्रों की झपाई एवं मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देख-रेख के लिये उपायुक्त (राजस्व) भोपाल को उप चुनाव 2011 संपन्न होने तक के लिये पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. ई-13-35-2005-आयएस-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11020-14-2005-एआईएस-III, दिनांक 19 अप्रैल, 2011 द्वारा संसूचित भारत सरकार के निर्णय के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भा.प्र.से. (94) को निम्नानुसार पुनरीक्षित अवकाश स्वीकृत करता है :—

1. सिटी यूनिवर्सिटी, यूएसए, में मास्टर्स इन इकानामिक्स के लिये दिनांक 19 अगस्त, 2005 से 18 अगस्त, 2006 तक, 365 दिन का अध्ययन अवकाश।
2. सिटी यूनिवर्सिटी, यूएसए, में मास्टर्स इन इकानामिक्स के लिये दिनांक 19 अगस्त, 2006 से 24 सितम्बर, 2007 तक, 402 दिन का एक्स-इंडिया अध्ययन अवकाश।
3. सिटी यूनिवर्सिटी, यूएसए, में मास्टर्स इन इकानामिक्स के लिये दिनांक 25 सितम्बर, 2007 से 5 जनवरी, 2008 तक, 103 दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. एफ ए 5-04-2011-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री केशव कुमार त्रिवेदी, माननीय न्यायाधिपति श्री शील नागु और माननीय न्यायाधिपति श्री सुजोय पौल जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के 13025-2-2010-यूएस II, दिनांक 25 मई 2011 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के पद पर की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 27 मई 2011 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है।

क्र. एफ ए 5-13-2010-एक(1).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 सितम्बर, 2010 द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री विनय मित्तल, साहब, उच्च न्यायालय इन्दौर, खण्डपीठ इन्दौर को तैंतीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया गया था।

(2) राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायाधिपति महोदय के उक्त स्वीकृत अवकाश को निरस्त कर उसके स्थान पर निम्नांकित विवरण अनुसार पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
1.	21-6-2010 से 23-7-2010 तक.	33 दिन	13 दिन पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित एवं 40 दिन अर्द्धवेतन अवकाश को 20 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित मानते हुए.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. ई-5-457-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 2 से 13 मई 2011 तक, बारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में 14 से 16 मई 2011 तक, तीन दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2011 एवं 30 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-290-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एम. के. राय, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2011 द्वारा दिनांक 12 से 16 मई 2011 तक, पांच दिन के स्वीकृत लघुकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17 से 18 मई 2011 तक, दो दिन का कार्योत्तर लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-771-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र को दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2011 तक, तीन दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-328-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. परशुराम, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 16 से 20 मई 2011 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 20 मई 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है (अवकाश अवधि दिनांक 16 से 19 मई 2011 तक, चार दिन रहेंगी)

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-667-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री पी. के. पाराशर, आयएएस., तत्का. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर को इस विभाग के समसंख्यक दिनांक 30 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 23 से 28 मई 2011 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 4 जून 2011

क्र. ई-5-644-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री संजय कुमार

शुक्ल, आयएएस., आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मई 2011 द्वारा दिनांक 13 से 18 जून 2011 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. ई-1-03-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भा.प्र.से. के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष पदस्थ किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री देवेन्द्र सिंघई (1978) संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल.	संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल.

क्र. ई-1-168-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एम. के. राय (1977) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश.	—
2.	श्री स्वदीप सिंह (1979) वि.क.अ., मध्यप्रदेश मंत्रालय तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग (इसके अलावा श्री आर. एस. जुलानिया (1985) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के प्रशिक्षण अर्वाधि में जल संसाधन विभाग का प्रभार भी पूर्ववत अतिरिक्त रूप से संपादित करते रहेंगे).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्रीमती शिखा दुबे (1987) प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद एवं सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद.	संभागीय कमिश्नर
4.	श्रीमती सुधा चौधरी (1991) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ.	सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार.	संभागीय कमिश्नर
5.	श्री बी. चन्द्रशेखर (2002) कलेक्टर, डिण्डौरी.	कलेक्टर, बैतूल.	—
6.	श्री लोकाेश कुमार जाटव (2004) संचालक, ग्रामीण रोजगार.	कलेक्टर, डिण्डौरी.	—

(2) श्री आलोक श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री प्रभांशु कमल, भा.प्र.से. (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(4) श्री इकबाल सिंह बैस (1985), पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(5) उपरोक्तानुसार श्री इकबाल सिंह बैस द्वारा वि.क.अ. लोक सेवा गारंटी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभाकर बंसोड, भा.प्र.से. (1985) प्रमुख सचिव, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग केवल लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2011

क्र. एफ 03-32-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख तथा न्यायिक विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को, प्रश्नपत्र तृतीय—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

उच्चस्तर
सागर संभाग

1.	श्री विजय राज	नायब तहसीलदार
----	---------------	---------------

जबलपुर संभाग

2.	श्रीमती प्रियंका दास	सहायक कलेक्टर
3.	श्री महीप किशोर तेजस्वी	डिप्टी कलेक्टर
4.	श्री नन्द कुमारम्	सहायक कलेक्टर

ग्वालियर संभाग

5.	श्री कृष्ण कुमार भोला	राजस्व निरीक्षक
6.	श्री लज्जाराम राजौरिया	राजस्व निरीक्षक
7.	श्री शिवसिंह कोरकू	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

8.	श्री मानसिंह आमों	राजस्व निरीक्षक
----	-------------------	-----------------

होशंगाबाद संभाग

9.	श्री तेजस्वी एस. नायक (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
----	-----------------------------------	---------------

निम्नस्तर

इन्दौर संभाग

1.	श्री खूनी कुमार पंडोले	राजस्व निरीक्षक
2.	श्री योगेन्द्र राजवैद्य	राजस्व निरीक्षक
3.	श्री छगन लाल नागराज	राजस्व निरीक्षक
4.	श्री रमेश कुमार रावते	राजस्व निरीक्षक
5.	श्री सकरिया भिडे	सहा. अधी. भू-अभिलेख

(1) (2) (3)

6.	श्री पुनिया परमार	राजस्व निरीक्षक
7.	श्री कमलराय सुनहरे	राजस्व निरीक्षक
8.	श्री विनोद कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक
9.	श्री राजेश कुमार जमरा	राजस्व निरीक्षक
10.	श्री हेमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
11.	श्री बालचन्द्र देवलिया	सहा. अधी. भू-अभिलेख
12.	श्री त्रिलोक चन्द्र नागौत्रा	राजस्व निरीक्षक
13.	श्री मोहनलाल पालीवाल	राजस्व निरीक्षक
14.	श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
15.	श्री रामजीवन लभानियां	राजस्व निरीक्षक
16.	श्री अरविन्द पाराशर	राजस्व निरीक्षक
17.	श्री दीपक कुमार गीते	राजस्व निरीक्षक
18.	श्री नंदकिशोर मालवीय	राजस्व निरीक्षक
19.	श्री मगन सिंह मण्डलोई	सहा. अधी. भू-अभिलेख
20.	श्री जगन्नाथ सावले	नायब तहसीलदार
21.	श्रीमती सूफिया फारूकी	सहायक कलेक्टर
22.	श्री बारसिंह डुडवे	नायब तहसीलदार
23.	श्री उदयसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
24.	श्री अनिल कुमार मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
25.	श्री शिवकांत पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
26.	श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
27.	मोहम्मद अयाज खान	राजस्व निरीक्षक
28.	श्री रमेश चौधरी	राजस्व निरीक्षक
29.	श्री रमेश चन्द्र दोगने	राजस्व निरीक्षक
30.	श्री संतोष कोठारी	राजस्व निरीक्षक
31.	श्री पुरुषोत्तम लाड़	सहा. अधी. भू-अभिलेख
32.	श्री रामेश्वर खेरदे	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

33.	श्री चन्द्र शेखर सिंह	राजस्व निरीक्षक
34.	श्री इलैयराजा टी.	सहायक कलेक्टर

ग्वालियर संभाग

35.	श्री महेश कुमार सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
36.	श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ	राजस्व निरीक्षक
37.	श्री रामनिवास शर्मा	राजस्व निरीक्षक
38.	श्री रमाशंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
39.	श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
40.	श्री रविशंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
41.	श्री अशोक कुमार सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
42.	श्री पंकज शर्मा	राजस्व निरीक्षक
43.	श्री राजवीर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
44.	श्री लोकमनि शाक्य	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
उज्जैन संभाग			15.	श्री धर्मेन्द्र साहू	राजस्व निरीक्षक
45.	श्री मांगीलाल चौहान	राजस्व निरीक्षक	16.	श्री तीरथ प्रसाद अक्षरया	राजस्व निरीक्षक
रीवा संभाग			17.	श्री चन्द्र किशोर ककोडिया (सश्रेय).	राजस्व निरीक्षक
46.	श्री मानसिंह मेमार	सहा. अधी. भू-अभिलेख	18.	श्री हिम्मत सिंह सनोडिया	राजस्व निरीक्षक
भोपाल, दिनांक 20 मई 2011			19.	श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
क्र. एफ 03-33-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, नायब तहसीलदारों तथा न्यायिक एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी 2011 को, प्रश्नपत्र प्रथम—लेखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—			20.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	21.	श्रीमती प्रियंका दास (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
(1)	(2)	(3)	22.	श्री अभिशेक सिंह (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
उच्चस्तर			23.	श्री महीप किशोर तेजस्वी (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
ग्वालियर संभाग			24.	श्री नरेन्द्र गनवीर	राजस्व निरीक्षक
1.	श्री महेश कुमार सोलंकी (सश्रेय)	राजस्व निरीक्षक	25.	श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय (सश्रेय)	राजस्व निरीक्षक
2.	श्री राकेश कुमार ठोडी	राजस्व निरीक्षक	26.	श्री अनिवाश लवानियां	सहायक कलेक्टर
3.	श्री कृष्ण कुमार भोला	राजस्व निरीक्षक	27.	श्री अजय गुप्ता	सहायक कलेक्टर
4.	श्री लज्जाराम राजौरियां (सश्रेय)	राजस्व निरीक्षक	28.	श्रीमती के. वासुकी	सहायक कलेक्टर
5.	श्री शिव सिंह कोरकू	राजस्व निरीक्षक	29.	श्री इलैयराज टी.	सहायक कलेक्टर
6.	श्री रमाशंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक	30.	श्री अमित तोमर (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
7.	श्रीमती हेमा राजपूत	राजस्व निरीक्षक	इन्दौर संभाग		
सागर संभाग			31.	श्री योगेन्द्र राजवैद्य	राजस्व निरीक्षक
8.	कु. प्रीति मैथली	सहायक कलेक्टर	32.	श्री रमेश कुमार रावते	राजस्व निरीक्षक
9.	श्री विजय राज	नायब तहसीलदार	33.	श्री सकरिया भिड़े	सहा. अधी. भू-अभिलेख
भोपाल संभाग			34.	श्री सुरेश चन्द्र जैन	सहा. अधी. भू-अभिलेख
10.	श्री धनराजू एस. (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर	35.	श्री विनोद कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग			36.	श्री धनजी गरवाल	राजस्व निरीक्षक
11.	श्री कैलाश परिहार	राजस्व निरीक्षक	37.	श्री गजराज सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
12.	श्री तरूण कुमार पिंथोड़े	सहायक कलेक्टर	38.	श्री त्रिलोक चन्द्र नागौत्रा	राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग			39.	श्री मोहनलाल पालीवाल	राजस्व निरीक्षक
13.	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक	40.	श्री मदनलाल टंगारे	राजस्व निरीक्षक
14.	श्री सुरेश कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक	41.	श्री संतोष कुमार शौनकियां	राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग			42.	श्री भगवान सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
होशंगाबाद संभाग			43.	श्री अमर चन्द्र यादव	राजस्व निरीक्षक
31.	श्री तेजस्वी एस. नायक	सहायक कलेक्टर	44.	श्री रामजीवन लभानियां	राजस्व निरीक्षक
निम्नस्तर			45.	श्री लखन लाल सोनी	राजस्व निरीक्षक
ग्वालियर संभाग			46.	श्रीमती सूफिया फारूकी	सहायक कलेक्टर
1.	श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	47.	श्री बारसिंह डुडवे	नायब तहसीलदार
2.	श्री रविशंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक			

(1)	(2)	(3)	क्र. एफ 03-36-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, अधीक्षक, भू-अभिलेख, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी 2011 को, प्रश्नपत्र प्रथम—प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग “बी” एवं “सी” (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—
सागर संभाग			अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम
			(1) (2) (3)
3.	श्री अशोक कुमार सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक	
4.	श्री पंकज शर्मा	राजस्व निरीक्षक	
5.	श्री राकेश कुमार इमले	राजस्व निरीक्षक	
6.	श्री विजयसिंह मौर्य	राजस्व निरीक्षक	
7.	शमशाद मोहम्मद खान	नायब तहसीलदार	
8.	श्री राजवीर सिंह भदौरियां	राजस्व निरीक्षक	
सागर संभाग			
9.	श्री बृजकिशोर पाठक	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर
रीवा संभाग			जबलपुर संभाग
10.	श्री मानसिंह मेमार	सहायक अधीक्षक	1. श्री हिम्मतसिंह सनोडिया राजस्व निरीक्षक
11.	श्री मानसिंह आर्षो	राजस्व निरीक्षक	2. श्री खगेश कुमार भलावी राजस्व निरीक्षक
भोपाल संभाग			3. श्री महीप किशोर तेजस्वी डिप्टी कलेक्टर
12.	श्री राकेश पिप्पल	राजस्व निरीक्षक	4. श्री हर्षवर्धन रामटेके राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग			5. श्री नन्द कुमारम् सहायक कलेक्टर
13.	श्री विनोद पटेल	राजस्व निरीक्षक	6. श्री वीरसिंह चौहान डिप्टी कलेक्टर
जबलपुर संभाग			7. श्री के. वासुकी सहायक कलेक्टर
14.	श्री राम कैलाश कौल	राजस्व निरीक्षक	8. श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय राजस्व निरीक्षक
15.	श्री फुलेल कुमार रावत	राजस्व निरीक्षक	
16.	श्री खगेश कुमार भलावी	राजस्व निरीक्षक	
17.	श्री अन्नी लाल मेहरा	अधीक्षक भू-अभिलेख	
18.	श्री सुरेश कुमार सनोडियां	राजस्व निरीक्षक	
19.	श्री प्रेमचन्द्र मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक	
20.	श्री चन्द्रशेखर सिंह	राजस्व निरीक्षक	
21.	श्री हर्षवर्धन रामटेके	राजस्व निरीक्षक	
22.	श्री तेजलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	
इन्दौर संभाग			सागर संभाग
23.	श्री छगनलाल नागराज	राजस्व निरीक्षक	9. श्री विजय राज (सश्रेय) नायब तहसीलदार
24.	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक	10. कु. प्रीति मैथिल (सश्रेय) सहायक कलेक्टर
25.	श्री पुनियां परमार	राजस्व निरीक्षक	11. श्री बृजकिशोर पाठक राजस्व निरीक्षक
26.	श्री रणजीत सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	12. श्री अशोक कुमार मौर्य नायब तहसीलदार
27.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक	
28.	श्री कमलराय सुनहरे	राजस्व निरीक्षक	
29.	श्री नरेश कुमार शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख	
30.	श्री श्रीकांत बनोट	सहायक कलेक्टर	
इन्दौर संभाग			इन्दौर संभाग
23.	श्री छगनलाल नागराज	राजस्व निरीक्षक	13. श्री श्रीकांत बनोट सहायक कलेक्टर
24.	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक	
25.	श्री पुनियां परमार	राजस्व निरीक्षक	
26.	श्री रणजीत सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	
27.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक	
28.	श्री कमलराय सुनहरे	राजस्व निरीक्षक	
29.	श्री नरेश कुमार शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख	
30.	श्री श्रीकांत बनोट	सहायक कलेक्टर	
इन्दौर संभाग			निम्नस्तर
23.	श्री छगनलाल नागराज	राजस्व निरीक्षक	जबलपुर संभाग
24.	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक	1. श्री तीरथप्रसाद अक्षरया राजस्व निरीक्षक
25.	श्री पुनियां परमार	राजस्व निरीक्षक	2. श्री चंद्रकिशोर ककोड़िया राजस्व निरीक्षक
26.	श्री रणजीत सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	3. श्री रामसेवक कौल राजस्व निरीक्षक
27.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक	4. श्री चन्द्रशेखर सिंह राजस्व निरीक्षक
28.	श्री कमलराय सुनहरे	राजस्व निरीक्षक	5. श्री नरेन्द्र कुमार खरे राजस्व निरीक्षक
29.	श्री नरेश कुमार शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख	6. श्री संजय कुमार दुबे राजस्व निरीक्षक
30.	श्री श्रीकांत बनोट	सहायक कलेक्टर	7. श्री तेजलाल धुर्वे राजस्व निरीक्षक
इन्दौर संभाग			8. श्री उमरावसिंह ठाकुर सहा. अधी. भू-अभिलेख
23.	श्री छगनलाल नागराज	राजस्व निरीक्षक	9. श्री कुंजबिहारी रघुवंशी सहा. अधी. भू-अभिलेख
24.	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक	10. कु. सुनीता खण्डायत डिप्टी कलेक्टर
25.	श्री पुनियां परमार	राजस्व निरीक्षक	11. श्री ज्ञामसिंह इरकिरा राजस्व निरीक्षक
26.	श्री रणजीत सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	
27.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक	
28.	श्री कमलराय सुनहरे	राजस्व निरीक्षक	
29.	श्री नरेश कुमार शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख	
30.	श्री श्रीकांत बनोट	सहायक कलेक्टर	

(1)	(2)	(3)	भोपाल, दिनांक 1 जून 2011								
ग्वालियर संभाग			<p>क्र. एफ 03-37-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 17 जनवरी 2011 को, प्रश्नपत्र प्रथम—दाण्डिक, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अनु.</th> <th>परीक्षार्थी का नाम</th> <th>पदनाम</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> </table>			अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	(1)	(2)	(3)
अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम									
(1)	(2)	(3)									
12.	श्री महेश कुमार सोलंकी	राजस्व निरीक्षक									
13.	श्री राकेश कुमार डोडी	राजस्व निरीक्षक									
14.	श्री मुकेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक									
15.	श्री संतोष सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक									
16.	श्री कृष्ण कुमार भोला	राजस्व निरीक्षक									
17.	श्री श्रीराम गोयल	सहा. अधी. भू-अभिलेख									
18.	श्री राकेश कुमार इमले	राजस्व निरीक्षक									
19.	श्री मुन्नालाल गौड़	राजस्व निरीक्षक									
20.	श्री राजवीर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक									
भोपाल संभाग						सागर संभाग					
21.	श्री राकेश पिप्पल	राजस्व निरीक्षक				1.	श्री विजय राज	नायब तहसीलदार			
उज्जैन संभाग						इन्दौर संभाग					
22.	श्री मांगीलाल चौहान	राजस्व निरीक्षक				2.	श्री दीपक कुमार गीते	राजस्व निरीक्षक			
23.	श्री दयाराम निगम	राजस्व निरीक्षक				निम्नस्तर					
24.	श्री रतनलाल डामोर	राजस्व निरीक्षक				होशंगाबाद संभाग					
25.	श्री रघुनाथ मचार	राजस्व निरीक्षक				1.	श्री पूनम चन्द्र जांगड़े	कार्यालय अधीक्षक			
26.	श्री रामेश्वर डामर	राजस्व निरीक्षक				जबलपुर संभाग					
27.	श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा	राजस्व निरीक्षक	2.	श्री सुरेश कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक						
28.	श्री कैलाश परिहार	राजस्व निरीक्षक	3.	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक						
रीवा संभाग			4.	श्री तीरथ प्रसाद अक्षरया	राजस्व निरीक्षक						
29.	श्री गंगाराम पनिका	राजस्व निरीक्षक	5.	श्री चन्द्रकिशोर ककोडिया	राजस्व निरीक्षक						
30.	श्री मानसिंह आमोँ	राजस्व निरीक्षक	6.	श्री हिम्मत सिंह सनोडियां	राजस्व निरीक्षक						
इन्दौर संभाग			7.	श्री खगेश कुमार भलावी	राजस्व निरीक्षक						
31.	श्री खूनी कुमार पंडोले	राजस्व निरीक्षक	8.	श्री महीप किशोर तेजस्वी	डिप्टी कलेक्टर						
32.	श्री छगनलाल नागराज	राजस्व निरीक्षक	9.	श्री भरतलाल पाटिलकर	सहा. अधी. भू-अभिलेख						
33.	श्री सकरिया भिड़े	सहा. अधी. भू-अभिलेख	10.	श्री चन्द्र शेखर सिंह	राजस्व निरीक्षक						
34.	श्री पुनियां परमार	राजस्व निरीक्षक	11.	श्री नरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक						
35.	श्री रणजीत सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	12.	श्री हर्षवर्धन रामटेके	राजस्व निरीक्षक						
36.	श्री कमलराय सुनहरे	राजस्व निरीक्षक	13.	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर						
37.	श्री नरेश कुमार शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख	सागर संभाग								
38.	श्री सुरेश चन्द्र जैन	सहा. अधी. भू-अभिलेख	14.	श्री बृजकिशोर पाठक	राजस्व निरीक्षक						
39.	श्री धनजी गरवाल	राजस्व निरीक्षक	इन्दौर संभाग								
40.	श्री गजराज सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	15.	श्री खूनी कुमार पंडोले	राजस्व निरीक्षक						
41.	श्री मोहनलाल पालीवाल	राजस्व निरीक्षक	16.	श्री सुरेश चन्द्र जैन	सहा. अधी. भू-अभिलेख						
42.	श्री मदन लाल टंगारे	राजस्व निरीक्षक									
43.	श्री अरविन्द पाराशर	राजस्व निरीक्षक									

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
17.	श्री विनोद कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक	50.	श्री बृजकिशोर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
18.	श्री राजेश जमरा	राजस्व निरीक्षक	51.	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
19.	श्री रेमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	52.	श्री अशोक कुमार सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
20.	श्री बालचन्द्र देवलीया	सहा. अधी. भू-अभिलेख	53.	श्री राकेश कुमार इमले	राजस्व निरीक्षक
21.	श्री गजराज सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	54.	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
22.	श्री त्रिलोक चन्द्र नागोत्रा	राजस्व निरीक्षक	55.	श्री कमल किशोर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
23.	श्री मोहन लाल पालीवाल	राजस्व निरीक्षक	56.	श्री देवसिंह तोमर	सहा. अधी. भू-अभिलेख
24.	श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	57.	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	नायब तहसीलदार
25.	श्री मदन लाल टंगारे	राजस्व निरीक्षक			
26.	श्री अमर चन्द यादव	राजस्व निरीक्षक			
27.	श्री रामजीवन लभानिया	राजस्व निरीक्षक			
28.	श्री अरविन्द पराशर	राजस्व निरीक्षक			
29.	श्री लखनलाल सोनी	राजस्व निरीक्षक			
रीवा संभाग					
30.	श्री लालाराम सूर्यवंशी	राजस्व निरीक्षक	अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
31.	श्री गंगाराम पनिका	राजस्व निरीक्षक	(1)	(2)	(3)
उज्जैन संभाग			उच्चस्तर		
32.	श्री बाबूलाल खराड़ी	सहा. अधी. भू-अभिलेख	ग्वालियर संभाग		
33.	श्री रतन लाल डामोर	राजस्व निरीक्षक	1.	श्री महेश कुमार सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
34.	श्री वीरसिंह अवासियां	नायब तहसीलदार	2.	श्री कृष्ण कुमार भोला (सश्रेय)	राजस्व निरीक्षक
35.	श्री हरनाम सिंह भागों	अधीक्षक	3.	श्री लज्जाराम राजौरिया (सश्रेय)	राजस्व निरीक्षक
36.	श्री कैलाश परिहार	राजस्व निरीक्षक	4.	श्री शिवसिंह कोरकू	राजस्व निरीक्षक
37.	श्री जगदीश कुमार शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख	5.	श्री रमाशंकर शर्मा (सश्रेय)	राजस्व निरीक्षक
			6.	श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
			7.	श्री रवि शंकर शर्मा (सश्रेय)	राजस्व निरीक्षक
			8.	श्रीमती हेमा राजपूत	राजस्व निरीक्षक
			9.	श्री अशोक कुमार सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
			10.	श्री विजय सिंह मौर्य	राजस्व निरीक्षक
			11.	श्री रामेश्वर दयाल धाकड़ (सश्रेय)	सहा. अधी. भू-अभिलेख
			12.	श्री राकेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
			13.	श्री शमशाद मो. खान	नायब तहसीलदार
			14.	श्री दीनाराम काकोड़िया (सश्रेय)	राजस्व निरीक्षक
			15.	श्री राजवीर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
			16.	श्री लोकमनि शाक्य	राजस्व निरीक्षक
			जबलपुर संभाग		
41.	श्री महेश कुमार सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	17.	श्री तीरथ प्रसाद अक्षरया	राजस्व निरीक्षक
42.	श्री नरेन्द्र खरे	सहा. अधी. भू-अभिलेख	18.	श्री महीप किशोर तेजस्वी	डिप्टी कलेक्टर
43.	श्री राकेश कुमार ठोडी	राजस्व निरीक्षक	19.	श्री नरेन्द्र गनवीर	राजस्व निरीक्षक
44.	श्री मुकेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक	20.	श्री उमराव सिंह ठाकुर	सहा. अधी. भू-अभिलेख
45.	श्री कृष्ण कुमार भोला	राजस्व निरीक्षक	21.	श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
46.	श्री अशोक कुमार सक्सेना	सहा. अधी. भू-अभिलेख			
47.	श्री शिवनन्दन सिंह कुशवाहा	राजस्व निरीक्षक			
48.	श्री अरूण कुमार मिश्रा	राजस्व निरीक्षक			
49.	श्री रवि शंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक			

क्र. एफ 03-38-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 जनवरी 2011 को, प्रश्नपत्र द्वितीय—लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

(1)	(2)	(3)	(बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—		
निम्नस्तर			अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
ग्वालियर संभाग			(1)	(2)	(3)
1.	श्री राकेश कुमार इमले	राजस्व निरीक्षक			
जबलपुर संभाग			उच्चस्तर		
2.	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक	1.	श्री जे. पी. शर्मा	सहायक वन संरक्षक
3.	श्री सुरेश कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक			
4.	श्री धर्मेन्द्र साहू	राजस्व निरीक्षक			
5.	श्री चन्द्रकिशोर ककोड़िया	राजस्व निरीक्षक			
6.	हिम्मतसिंह सनोडियां	राजस्व निरीक्षक			
7.	श्री विरेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक			
8.	श्री रामकैलाश कोल	राजस्व निरीक्षक			
9.	श्री फुलेल कुमार रावत	राजस्व निरीक्षक			
10.	श्री अन्नीलाल मेहरा	अधीक्षक			
11.	श्री सुरेश कुमार सनोडियां	राजस्व निरीक्षक			
12.	श्री चन्द्र शेखर सिंह	राजस्व निरीक्षक			
13.	श्री नारद सिंह पन्डे	राजस्व निरीक्षक			
14.	श्री हर्षवर्धन रामटेके	राजस्व निरीक्षक			
15.	श्री कुंज बिहारी रघुवंशी	सहा. अधी. भू-अभिलेख			
16.	श्री ज्ञानसिंह इरकिरा	राजस्व निरीक्षक			
17.	श्री खगेश कुमार भलावी	राजस्व निरीक्षक			
इन्दौर संभाग			इन्दौर संभाग		
18.	श्री खूनी कुमार पंडोले	राजस्व निरीक्षक			
19.	श्री योगेन्द्र राजवैद्य	राजस्व निरीक्षक			
20.	श्री छगनलाल नागराज	राजस्व निरीक्षक			
21.	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक			
22.	श्री त्रिलोक चन्द्र नागोत्रा	राजस्व निरीक्षक			
23.	श्री मोहनलाल पालीवाल	राजस्व निरीक्षक			
24.	श्री मदनलाल टंगारे	राजस्व निरीक्षक			
25.	श्री रामजीवन लभानियां	राजस्व निरीक्षक			
26.	श्री लखन लाल सोनी	राजस्व निरीक्षक			
27.	श्री बारसिंह डुडवे	नायब तहसीलदार			
भोपाल संभाग			सागर संभाग		
28.	श्री लुहार सिंह चिचाम	अधीक्षक, भू-अभिलेख			
क्र. एफ 03-39-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को, प्रश्नपत्र प्रथम—वन विधि			4.	श्री आर. एन. द्विवेदी	वन क्षेत्रपाल
			5.	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा	सहायक वन संरक्षक
			6.	श्री आर. डी. शाक्य	सहायक वन संरक्षक
			7.	श्री गोवर्धन प्रसाद तिवारी	सहायक वन संरक्षक
			8.	श्री भूपत सिंह गौड़	वन क्षेत्रपाल
			जबलपुर संभाग		
			9.	श्री रजनीश कुमार पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल
			10.	श्री वाई. पी. चौबे	सहायक वन संरक्षक
			11.	श्री अरूण कुमार हजारी	सहायक वन संरक्षक
			12.	श्री सी. बी. गुप्ता	सहायक वन संरक्षक
			13.	श्री विजय सिंह कुसरे	उप प्रबंधक
			14.	श्री मुन्ना लाल कुलेश	सहायक वन संरक्षक
			15.	श्री आई. बी. गुप्ता	सहायक वन संरक्षक
			16.	श्री जी. के. चतुर्वेदी	वन क्षेत्रपाल
			17.	डॉ. आर. के. गुरुदेव	सहायक वन संरक्षक
			18.	श्री एन. एस. परिहार	सहायक वन संरक्षक
			19.	श्री श्रवण कुमार पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक
			20.	श्री लक्ष्मीकान्त वासनिक	सहायक वन संरक्षक
			21.	श्री देवकरण सिंह गौड़	सहायक वन संरक्षक
			22.	श्री विनय कुमार पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल
			23.	श्री बृजलाल सत्यार्थी	सहायक वन संरक्षक
			रीवा संभाग		
			24.	श्री रामानन्द वर्मा	सहायक वन संरक्षक
			25.	श्री सी. एस. वर्मा	सहायक वन संरक्षक
			26.	श्री अजय पटैरिया	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
27.	श्री पी. पी. एस. परिहार	सहायक वन संरक्षक	3.	श्री बहादुर सिंह चौहान	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
28.	श्री डा. सी. घोरमारे	सहायक वन संरक्षक	4.	श्री धूमसिंह चौहान	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
29.	श्री योगेश तिवारी	सहायक वन संरक्षक	5.	श्री प्यार सिंह चौहान	अनुविभागीय कृषि अधिकारी
30.	श्री राजीव कुमार शर्मा	सहायक वन संरक्षक	6.	श्री सुरेश मुवेल	सहायक संचालक कृषि
ग्वालियर संभाग			7.	श्री चन्द्रशेखर पाटीदार	सहायक संचालक कृषि
31.	श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा	सहायक वन संरक्षक	8.	श्री विनोद बघेल	सहायक संचालक कृषि
32.	श्री आनन्द सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल	9.	श्री जयपाल पटेल	सहायक संचालक कृषि
33.	श्री अशोक कुमार पाराशर	सहायक वन संरक्षक	10.	श्री मनोज चौहान	सहायक संचालक कृषि
34.	श्री राजीव कौशल	वन क्षेत्रपाल	11.	श्री राधेश्याम बड़ोले	सहायक संचालक कृषि
35.	श्री संदीप शुक्ला	सहायक वन संरक्षक	12.	श्री दीपक कुमार मालवीय	सहायक संचालक कृषि
36.	श्री बी. आर. अहिरवार	सहायक वन संरक्षक	13.	कु. लक्ष्मी किराड़े	सहायक संचालक कृषि
उज्जैन संभाग			14.	कु. रश्मि मोदी	सहायक संचालक कृषि
37.	श्री विलास चन्द्र खंडारे	सहायक वन संरक्षक	15.	श्री मंगल सिंह डोडवे	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
38.	श्री शंकर लाल यादव	वन क्षेत्रपाल	16.	श्री त्रिलोक चन्द्र बास्कले	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
39.	श्री अश्विनी कुमार वर्मा	सहायक वन संरक्षक	17.	श्रीमती कविता मण्डलोई	सहायक संचालक कृषि
40.	श्री के. एस. सुल्या	सहायक वन संरक्षक	ग्वालियर संभाग		
भोपाल संभाग			18.	श्री अरूण कुमार गोयल	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
41.	श्री रवि खुडे	वन क्षेत्रपाल	19.	श्री अवधेश शर्मा	अनुविभागीय कृषि अधिकारी
42.	श्री आलोक वर्मा	सहायक वन संरक्षक	जबलपुर संभाग		
43.	श्री व्ही. के. अतुलकर	सहायक वन संरक्षक	20.	श्री अशोक कुमार कुम्हार	सहायक संचालक कृषि
44.	श्री एच. पी. सिंह	सहायक वन संरक्षक	21.	श्री नीलकण्ठ पटवारी	स.स.कि.क. तथा कृ. विकास
45.	श्री डी. आर. वर्मा	सहायक वन संरक्षक	22.	श्री अजय चौहान	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
46.	श्री राजीव श्रीवास्तव	वन क्षेत्रपाल	सागर संभाग		
47.	श्री अनिल कुमार मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	23.	कु. नीता जैन	सहायक संचालक कृषि
48.	श्री कैलाश वर्मा	सहायक वन संरक्षक	24.	श्री संदीप कुमार यादव	सहायक संचालक कृषि
49.	श्री केशव नारायण सक्सेना	सहायक वन संरक्षक	भोपाल संभाग		
50.	श्री उमाकांत पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक	25.	श्री आशीष कुमार कनेश	सहायक संचालक कृषि

भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

क्र. एफ 03-40-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा कृषि सेवा कार्यपालन, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जनवरी 2011 को, प्रश्नपत्र—लेखा-द्वितीय (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
उच्चस्तर		
इन्दौर संभाग		
1.	श्रीमती इन्द्राणी बोकाड़े	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
2.	कु. संगीता चौहान	सहायक संचालक कृषि

उज्जैन संभाग		
26.	श्री केशव सिंह गोयल	सहायक संचालक कृषि
होशंगाबाद संभाग		
27.	श्रीमती नीलम पाटिल	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
28.	श्री सुरेन्द्र अमरूते	सहायक संचालक कृषि
29.	श्री देवीसिंह वर्मा	सहायक संचालक कृषि
30.	श्री सतीष कुमार देशमुख	सहायक संचालक कृषि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
निम्नस्तर			जबलपुर संभाग		
जबलपुर संभाग			17.	श्री अशोक कुमार कुम्हार	सहायक संचालक कृषि
1.	श्री क्षितिज करहाड़े	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	18.	श्री नीलकंठ पटवारी	स.स.कि.क. तथा कृ. विकास
2.	श्री राजकुमार कोरी	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	सागर संभाग		
सागर संभाग			19.	श्री संजय कुमार पाठक	सहायक संचालक कृषि
3.	श्री संजय कुमार पाठक	सहायक संचालक कृषि	20.	श्री संदीप कुमार यादव	सहायक संचालक कृषि
रीवा संभाग			21.	कु. नीता जैन	सहायक संचालक कृषि
3.	श्री रतन सिंह कटारा	ए. डी. एच.	उज्जैन संभाग		
<p>क्र. एफ 03-412011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा कृषि सेवा कार्यपालन, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जनवरी 2011 को, प्रश्नपत्र —लेखा-प्रथम (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—</p>			22.	श्री राजू बड़वाया	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	23.	श्री कैलाश सिंह सोलंकी	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
(1)	(2)	(3)	होशंगाबाद संभाग		
उच्चस्तर			24.	श्रीमती नीलम पाटिल	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
ग्वालियर संभाग			25.	श्री सतीष कुमार देशमुख	सहायक संचालक कृषि
1.	श्री अवधेश शर्मा	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	26.	श्री देवीसिंह वर्मा	सहायक संचालक कृषि
2.	श्री अरूण कुमार गोयल	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	27.	श्री सुरेन्द्र अमरूते	सहायक संचालक कृषि
इन्दौर संभाग			निम्नस्तर		
3.	श्रीमती इन्द्राणी बोकाड़े	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	इन्दौर संभाग		
4.	कु. संगीता चौहान	सहायक संचालक कृषि	1.	श्री बहादुर सिंह चौहान	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
5.	श्री धूमसिंह चौहान	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	2.	श्री मंगल सिंह डोल्वे	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
6.	श्री प्यार सिंह चौहान	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	जबलपुर संभाग		
7.	श्री सुरेश मुवेल	सहायक संचालक कृषि	3.	श्री क्षितिज करहाड़े	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
8.	श्री चन्द्रशेखर पाटीदार	सहायक संचालक कृषि	4.	श्री राजकुमार कोरी	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
9.	श्री विनोद बघेल	सहायक संचालक कृषि	5.	श्री अजय चौहान	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
10.	श्री जयपाल पटेल	सहायक संचालक कृषि	भोपाल संभाग		
11.	श्री मनोज चौहान	सहायक संचालक कृषि	6.	श्री आशीष कुमार कनेश	सहायक संचालक कृषि
12.	श्री राधेश्याम बड़ोले	सहायक संचालक कृषि	उज्जैन संभाग		
13.	श्री दीपक कुमार मालवीय	सहायक संचालक कृषि	7.	श्री केशव सिंह गोयल	सहायक संचालक कृषि
14.	कु. लक्ष्मी किराड़े	सहायक संचालक कृषि	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		
15.	कु. रश्मि मोदी	सहायक संचालक कृषि	अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.		
16.	श्री त्रिलोक चन्द्र बास्कले	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी			

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2011

क्र. एफ-10-1-2011-सत्रह-मेडि-2.—इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ई-1-130-2011-05-एक, भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2011 को अधिक्रमित करते हुए तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37 वां) की धारा 2 की उपधारा (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा श्री अश्विनी कुमार राय, (आई.ए.एस.) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश, भोपाल को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 5-5-2011 से संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की शक्तियों के उपयोग करने के लिए नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज का शिवपुरी जिले की तहसील पोहरी में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये ग्राम बेराढ़ में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 31st May 2011

No. D-15-06-2011-XIV-3.—WHEREAS in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a market at Berad for regulating the purchase and sale of agricultural produce mentioned in the Schedule of the said Act, including all revenue and forest Villages of the area of gram Berad of Tehsil Pohari of Shivpuri district.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the “Madhya Pradesh Gazette” will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960), की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2219-770-14-1, दिनांक 26 मार्च, 1964 द्वारा शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और चूंकि “उक्त मंडी क्षेत्र” में से नीचे दी गई अनुसूची में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), को अपवर्जित करके उक्त मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा “उक्त मंडी क्षेत्र” में “उक्त क्षेत्र” को अपवर्जित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची

1. भिलौड़ी, 2. उमरी, 3. करखौआ, 4. गोहरा, 5. ठेवला,
6. गणेशपुर, 7. खेरवानी, 8. मानकपुर, 9. राजगढ़,
10. ककरौआ, 11. बसई, 12. हनमन्ता, 13. केमा,
14. बूढदा, 15. इमलीपुरा, 16. सेमरखेड़ी, 17. गणेशपुरा,
18. किशनपुरा, 19. खैरारा, 20. गोवर्धन, 21. श्रीपुरा,
22. रामपुरा, 23. गुरिच्छा, 24. देवपुर, 25. हरई,
26. सिलपरी, 27. बरखेड़ी, 28. पटेवरी, 29. अहल्यापुर.
30. खटका, 31. आवादपुर, 32. विजौरा, 33. बाघौदा,
34. बालापुर, 35. हुसैनपुर, 36. एचवाड़ा, 37. वहरगंवा,
38. मारूखेड़ी, 39. बुढ़ोनी, 40. धतूरा, 41. अमरपुर,
42. फुलीपुरा, 43. भीमलाट, 44. खरईजालिम,
45. विनेहरा बुजुर्ग, 46. विनेहरा खुर्द, 47. रायपुर,
48. सकतपुर, 49. कुपरेडा, 50. भौराना, 51. पिपरोदा
- कटारा, 52. धौरिया 53. पिपरोदा तीर्थ, 54. मगरोनी
- विरान, 55. रामगढ़, 56. गिरवानी 57. गाजीगढ़
58. मारोद, 59. हौदपुर, 60. टोरिया 61. टोडा,
62. जरियाकला, 63. आनन्दपुर, 64. सुमेढ, 65. धूम,
66. रघुनाथपुर, 67. उम्मेदपुर, 68. जौराई, 69. कैमई,
70. शंकरपुरा, 71. रैन, 72. विलपुरा, 73. बलरामपुरा,
74. बैहरदा, 75. कूड़ा, 76. गोदा, 77. देवपुरा,
78. बैहवलपुर, 79. दरगंवा, 80. ककरई, 81. सड,
82. देवगढ़, 83. ठगौसा, 84. बैराड, 85. भदेरा,
86. कालामठ, 87. अमरगढ़, 88. आकुर्सी, 89. पचीपुरा,
90. बमनपुरा, 91. गोदोली, 92. नदौरा, 93. अमरौदा
- शुक्ला, 94. सापरवाड़ा, 95. अमरौदी, 96. रसेरा,
97. बरौद, 98. जरियाखुर्द, 99. लक्ष्मीपुरा, 100. वीलवरा
- माता, 101. खौदा 102. गूंगरगांव, 103. वेरजा,
104. गूंगरपट्टी, 105. जाफरपुर, 106. सतनवाड़ा,
107. सामरा, 108. गोवरा, 109. रामखेड़ी 110. गौदरी,
111. रजौआ, 112. धीगपुर, 113. नैनागढ़ 114. देवरी
- बुजुर्ग 115. मारौरा खालसा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद
348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक
अधिसूचना दिनांक 31 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के
प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 31st May 2011

No. D-15-06-2011-XIV-3.—WHEREAS, by this
Department Notificaiton No. 2219-770-14-1, dated 26th
March 1964 issued under the provisions of sub-section
(3) of Section 3 of the Madhya Pradesh Agricultural
produce Market Act, 1960 (No. 19 of 1960), the State
Government regulated the purchase and sale of the
agricultural produce specified in the said Notification
in the area all Revenue & Forest village of Pohari
Tehsil of Shivpuri District, (here in after referred to
as the "said market area").

AND WHEREAS as it is now proposed to alter the
limits of the said Market area by there form the area
comprising of villages situated in the in the follwing
list villages of Pohari Tehsil of Shivpui District (here
in after referred to as the "said area").

NOW THEREFORE, in exercise of the powers
conferred by clause (i) of sub-section (1) of Section
70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi
Adhinyam 1972 (No. 24 of 1973), the State
Government hereby signfies its intention to establish
a separate market at Berad by excluding the "Said
area" from the "Said Market area".

Any objection which may be received in writing
by the Principal Secretary to Government of Madhya
Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development
Department, Bhopal from any person with respect to
this Notification within Six weeks from the date of
publication of this Notification in the "Madhya
Pradesh Gazette" will be considered by the State
Government.

LIST

1. Bhilodi, 2. Umri, 3. Karkhaua, 4. Gohra, 5. Thewla,
6. Ganeshpur, 7. Kherwani, 8. Manakpur,
9. Rajgarh, 10. Kakroua, 11. Basai,
12. Hanmanta, 13. Kema, 14. Boodhda,
15. Imlipura, 16. Semakhedi, 17. Ganeshpura,
18. Kishanpura, 19. Khairara, 20. Goverdhan,
21. Shirpura, 22. Rampur, 23. Gurichha,
24. Devpur, 25. Harrai, 26. Silpari, 27. Barkhedi,
28. Patiwari, 29. Ahiliyapur, 30. Khatka,
31. Awadpur, 32. Vijoura, 33. Baghoda,
34. Baalapur, 35. Husenpur, 36. Echawada,
37. Wahargawa, 38. Marukhedi, 39. Budhoni,
40. Dhatura, 41. Amarpur, 42. Phulipura,
43. Bhimlaa, 44. Kharijalim, 45. Vinehra bujurg,
46. Vinehra Khurd, 47. Raipur, 48. Sakatpur,
49. Kupreda, 50. Bhourana, 51. Piproda Katara,
52. Dhouriya, 53. Piprouda Tirth, 54. Magrouni
- Viran. 55. Ramgarh, 56. Girwani, 57. Gaajigarh,

58. Marod, 59. Haudpur, 60. Tooriya, 61. Toda, 62. Jariyakala, 63. Anandpur, 64. Sumedha, 65. Dhum, 66. Rajunathpur, 67. Ummadpur, 68. Jaurai, 69. Kamai, 70. Shankarpura, 71. Raiyan, 72. Vilpura, 73. Balrapura, 74. Baiharda, 75. Kooda, 76. Goda, 77. Devpura, 78. Baihwalpur, 79. Dargawa, 80. Kakrai, 81. Shad, 82. Devgarh, 83. Thagausa, 84. Bairad, 85. Bhadera, 86. Kaalamath, 87. Amargarh, 88. Akurshi, 89. Pachipura, 90. Bawanpura, 91. Godoli, 92. Nadaura, 93. Amrouda Shukla, 94. Shaperwada, 95. Ameraudi, 96. Rasera, 97. Baroud, 98. Zariyakhurd, 99. Laxmipura, 100. Vilwar Maata, 101. Khauda, 102. Gungargawon, 103. Verja, 104. Gungarpatti, 105. Zaapharpur, 106. Satanwada, 107. Shamara, 108. Govra, 109. Ramkhedi, 110. Goudri, 111. Rajjour, 112. Dhigpur, 113. Nainagarh, 114. Devri Bujurg, 115. Maraura Khalsha.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. डी-15-11-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज को सीहोर जिले की जावर तहसील में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय विक्रय का विनियमन करने के लिये जावर में पृथक् मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. डी-15-11-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 31st May 2011

No. D-15-11-2011-XIV-3.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a sparate market at Jawar for the purpose of the "said Act" for regulating the purchase and sele of Agricultral produce mentioned in the shcedule of the said Act, including all Revenue and Forest villages of the area of tehsil Jawar in Sehore district.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh Farmar Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. डी-15-11-2011-चौदह-3.—चूंकि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6760-6631-चौदह-1, दिनांक 11 अक्टूबर 1962 द्वारा कृषि उपज मंडी आष्टा में समाविष्ट सीहोर जिले की जावर तहसील के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और चूंकि "उक्त मंडी क्षेत्र" में सीहोर जिले की तहसील जावर में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), को विपाटित करके पृथक् मण्डी स्थापित करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में "उक्त क्षेत्र" को विपाटित करके जावर में पृथक् मंडी स्थापित करने के अपने आशय की संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने

के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. डी-15-11-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

Bhopal, the 31st May 2011

No. D-15-11-2011-XIV-3.—WHEREAS, by this Department Notification No. 6760-6631-14-1, dated 11th October 1962 issued under the provision of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification for Krishi Upaj Mandi Asta in the area comprised of Tehsil Jawar of Sehore district, (here in after referred to as the "said market area").

AND WHEREAS as it is now proposed to establish a Separate market by splitting the area comprising of tehsil Jawar of Sehore District, (here in after referred to as the "said area").

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies its intention to establish a separate market at Jawar by splitting the "said area" from the "Said Market area"

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. डी-15-37-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-37-2010-चौदह-3, दिनांक 2 फरवरी, 2011 के द्वारा राज्य सरकार ने पन्ना जिले की उप तहसील सिमरिया के समस्त ग्राम एवं रैपुरा तहसील का राजस्व निरीक्षण मण्डल हरदुआ का समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में विनियमन करने के लिये सिमरिया में पृथक् मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में पन्ना जिले की सिमरिया उप तहसील के समस्त ग्राम एवं रैपुरा तहसील का राजस्व निरीक्षण मण्डल हरदुआ का समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में विनियमन करने के लिये सिमरिया में पृथक् मंडी स्थापित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. डी-15-37-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

Bhopal, the 3rd June 2011

No. D-15-37-2010-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D-15-37-2010-14-3, dated 2nd February, 2011 issued under the provisisi at sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1973 (No. 24 of 1973), the State Government had declared it intention to established a seprate market at Simariya for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the Act, including all Revenue and Forest villages of sub-tehsil Simariya and all villages & Forestry of Hardua Revenue circle of Raipura Tehsil in Panna disirict.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby establish a seprate market at Simariya for

regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the Act, including all Revenue and Forest villages of sub-tehsil Simariya and all villages & Forestry of Hardua Revenue circle of Raipura Tehsil in Panna district.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. डी-15-37-2010-चौदह-3.—चूंकि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2011 द्वारा पन्ना जिले की उप तहसील सिमरिया के समस्त ग्राम एवं रैपुरा तहसील का राजस्व निरीक्षण मण्डल हरदुआ का समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय को विनियमन करने के लिये सिमरिया में पृथक मंडी स्थापित करने की घोषणा की थी.

और चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-37-चौदह-3, दिनांक 2 फरवरी 2011 द्वारा पन्ना जिले की उप तहसील सिमरिया के समस्त ग्राम एवं रैपुरा तहसील का राजस्व निरीक्षण मण्डल हरदुआ का समस्त क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), को सम्मिलित करके सीमाओं में परिवर्तन का आशय संज्ञापित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये पन्ना जिले की कृषि उपज मंडी समिति सिमरिया के मंडी क्षेत्र में "उक्त क्षेत्र" को सम्मिलित करके सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. डी-15-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd June 2011

No. D-15-37-2010-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification even No. dated 2nd February, 2011 issued under the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government had declared its intention to established a setrate market at Simariya for regulating the purchase and sale of the Agricultural produce mentioned in the shedule of the said Act. including all Revenue and Forest villages of sub Tehsil Simariya and all villages & Forestry of Hardua Revenue circle of Reipura Tehsil in Panna district. (here in after referred to as the "said market area").

AND WHEREAS, by this departmeat Notificlltion No. D-15-37-XIV-3 dated 2nd February, 2011 issued under the provision of clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Simariya by including therein the area comprising of all Revenue and Forest villages of all sub Tehsil Simariya and all Revenue and Forest village of Hardua Revenue circle of Raipura Tehsil in Panna district (herein after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette, hereby alter the limits of the "said market area" for the purpose of the said Act. by including the "said area" comprising of all Revenue and Forest villages of all sub Tehsil Simariya and all Revenue and Forest village of Hardua Revenue circle of Raipura Tehsil in Panna district.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. डी-15-37-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक डी-15-37-2011-चौदह-3, दिनांक 3 जून 2011 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति सिमरिया के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी

प्रांगण घोषित करती है :—

Sub Tehsil Simariya of District Panna:—

स्थान
ग्राम पंचायत सिमरिया (निवारी) उप तहसील सिमरिया, जिला पन्ना के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :—

S.No.	Khasra No.	Area (In Hectare)
1	330/1 A	6.000
		Total : 6.000

BOUNDED BY

On the North by—Damoh-Panna Road.

On the South by—M. P. Government.

On the East by—M. P. Government.

On the West by—M. P. Government.

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	330/1क	6.000
योग :		6.000

जिसकी सीमाएं—

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

उत्तर में—दमोह-पन्ना मार्ग.
दक्षिण में—मध्यप्रदेश शासन.
पूर्व में—मध्यप्रदेश शासन.
पश्चिम में—मध्यप्रदेश शासन.

क्र. डी-15-37-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जून 2011 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति सिमरिया, जिला पन्ना के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है :—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. डी-15-37-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd June 2011

No. D-15-37-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Simariya has been established by this department's Notification even No. D- 15-XIV-3, dated 3rd June 2011 shall be market yard namely:—

PLACE

An area of 6.000 Hectare land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Simariya in

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत सिमरिया उप तहसील सिमरिया, जिला पन्ना की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

- (1) सिमरिया (2) चड़रा (3) दनवारा (4) पड़रिया कला (5) बिरासन (6) टहनगा (7) पटना खुर्द (8) गोही (9) पिपरानारायणपुरा (10) उमरी (11) पलोही (12) मजरा (13) मनिया (14) करिया (15) तिघरा (16) चिखला (17) गरलगा (18) बोदा (19) गूढ़ा (20) कोनी (21) वनमई (22) महाराजगंज (23) मडली (24) पगरा (25) गनयारी (26) कुलुआ (27) निवारी (28) कोलकरहिया (29) रैकरा (30) रतारू (31) आमघाट (32) लुधनी (33) हीरापुर (34) लिदरी (35) देवरी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. डी-15-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd June 2011

No. D-15-37-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number dated 3rd June 2011 the following area of Simariya of district Panna shall be market yard namely :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Simariya in Sub Tehsil Simariya of District Panna.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely:—
 - (1) Simariya (2) Chadra (3) Danwara (4) Padariya Kala (5) Birasan (6) Tahnga (7) Patna Khurd (8) Gohi (9) Pipranarayanpura (10) Umari (11) Palohi (12) Majra (13) Maniya (14) Kariya (15) Tighra (16) Chikhla (17) Garlaga (18) Boda (19) Koni (20) Wanmai (21) Maharajganj (22) Madli (23) Pagra (24) Ganyari (25) Kulua (26) Niwari (27) Kolkarhiya (28) Raikara (29) Rataru (30) Amghat (31) Ludhani (32) Heerapur (33) Lidari (34) Devri (35) Guda.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2011

क्र. एफ 1(ए) 268-86-ब-2-दो.—श्री राजेन्द्र कुमार, भा.पु.से., अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.), पु.मु., भोपाल को दिनांक 13 से

22 जून 2011 तक, दस दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार "नुब्राह वेली" (लेह लद्दाख) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :—

- | | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 1. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | — | स्वयं |
| 2. डॉ. शुचि श्रीवास्तव | — | पत्नी |
| 3. श्रेयस श्रीवास्तव | — | पुत्र |
| 4. सुकृति श्रीवास्तव | — | पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र कुमार, भा.पु.से. को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण / समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार, भा.पु.से., अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.), पु.मु., भोपाल का कार्य श्री ए. के. श्रीवास्तव, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक (प्रशि.), पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.), पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री राजेन्द्र कुमार, भा.पु.से., अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.), पु.मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश काल में श्री राजेन्द्र कुमार, भा.पु.से. को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2011

क्र. एफ 1(ए) 176-97-ब-2-दो.—श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भा.पु.से., तत्का. पुलिस अधीक्षक, गुना वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक, पु.मु., भोपाल को दिनांक 10-1-2011 से दिनांक 8-2-2011 तक, कुल तीस दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दिनांक 8 एवं 9 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश काल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भा.पु.से. को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2011

क्र. एफ 1(ए) 148-1995-ब-2-दो.—श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से., उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, मुर्ना को The Second Course of Phase-IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई 2011 से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून 2011 से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रिज युनिवर्सिटी यू.के., लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 जुलाई 2011 से 15 जुलाई 2011 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 9, 10, 16 एवं 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :—

- (1) विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
- (2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
- (3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से., उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, मुर्ना का कार्य पुलिस अधीक्षक, मुर्ना द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, मुर्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से. द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जून 2011

फा. क्र. 17(ई)-191-1977-इक्कीस-ब (दो).—दिनांक 14 जनवरी 1986 द्वारा श्री नंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, निवासी—जिला शिवपुरी को जिला मुख्यालय, शिवपुरी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण जिला मुख्यालय, शिवपुरी में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 17(ई)-231-2005-इक्कीस-ब (दो).—दिनांक 10 सितम्बर 2010 द्वारा श्री रामसेवक जैमिनी, अधिवक्ता, निवासी—ग्राम भटनावर परगना, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को तहसील पोहरी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण तहसील पोहरी में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 17(ई)-233-1991-इक्कीस-ब (दो).—दिनांक 8 सितम्बर 1992 द्वारा श्री रामसेवक गुप्ता, अधिवक्ता, निवासी—कृष्णागंज, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को तहसील पोहरी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण तहसील पोहरी में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 17(ई)-100-2005-इक्कीस-ब (दो).—दिनांक 22 अप्रैल 2005 द्वारा श्री एम. डी. गोयल, अधिवक्ता, निवासी—जवाहर गंज, न्यू ब्लाक, जिला शिवपुरी को जिला मुख्यालय, शिवपुरी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण जिला मुख्यालय, शिवपुरी में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2011

फा. क्र. 1(बी)-47-04-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा

(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री शिवशंकर श्रीवास्तव, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये धार सत्र खण्ड के राजस्व जिले धार के लिये अति. लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

फा. क्र. 1(बी)-34-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अरुण कुमार चौधरी, पुत्र श्री जी. एस. चौधरी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नरसिंहपुर सत्र खण्ड के राजस्व जिले नरसिंहपुर के लिये अति. लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

संशोधित आदेश

फा. क्र. 1(बी)-5-05-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2011 की पंक्ति 4 में दिनांक 7 जनवरी 2011 से एक वर्ष दिनांक 6 जनवरी 2012 अंकित हो गया है. अतः उसके स्थान पर दिनांक 7 जनवरी 2011 से तीन वर्ष दिनांक 6 जनवरी 2014 पढ़ा जावे.

फा. क्र. 1(बी)-34-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, पुत्र श्री ठाकुर दुर्ग सिंह, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नरसिंहपुर सत्र खण्ड के राजस्व जिले नरसिंहपुर के लिये अति. लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2011

क्र. एफ-3-174-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-174/2010/बत्तीस, दिनांक 29-01-2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इटारसी विकास योजना 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात उपांतरित भू उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	इटारसी	220/3, 220/2, 220/40, 220/42, 220/36, 218/1, 307 एवं 90	12.694	आमोद-प्रमोद (स्टेडियम)	आवासीय

योग . . 12.694

(2) उपरोक्त उपांतरण इटारसी विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-174-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-174/2010/बत्तीस, दिनांक 29 जनवरी 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इटारसी विकास योजना 2011 में

निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण					
क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात उपांतरित भू उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम सोना सावरी	296/2, 297/3, 299/3, 300/2, 309/2, 302/2, 303, 304/2, 305/2, 306/2, 310/2, 311/2, 313/1, 393/3, 317/2, 318/1, 318/5, 319/6, 311/1	कुल रकबा 14.49 एकड़ में से बंगाली विस्थापितों (1.70 एकड़) एवं माध्यमिक शाला हेतु पूर्व से आरक्षित (2.81 एकड़) कुल 4.76 एकड़ को छोड़कर शेष 9.73 एकड़	औद्योगिक तथा वाणिज्यिक	आमोद-प्रमोद (स्टेडियम)
			योग . . . 9.73 एकड़		

(2) उपरोक्त उपांतरण इटारसी विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 3 मई 2011

क्र. 10-एफ.पी.डी.-11.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा "ज" के अंतर्गत निम्नानुसार मंडी समितियों में बैंक प्रतिनिधि नामांकित किये गये हैं.

अ. क्रं.	नाम कृषि उपज मंडी जिसके लिये प्रतिनिधि नामांकित किये गये हैं.	नाम-निर्देशन करने वाले व्यक्ति/संस्था का नाम	नामांकित प्रतिनिधि का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	देवास	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, देवास	श्री महेन्द्रसिंह मकवाना, बैंक अध्यक्ष, ग्राम आगरोद, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास.
2	हाटपिपल्या	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, देवास	श्री रमेशचन्द्र जायसवाल, बैंक उपाध्यक्ष, हाटपिपल्या.
3	बागली	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, देवास	श्री रमेशचन्द्र जायसवाल, बैंक उपाध्यक्ष, हाटपिपल्या.
4	कन्नौद	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, देवास	श्रीमती सरस्वती बाई, बैंक उपाध्यक्ष/ संचालक, ग्राम कलवार, तह. कन्नौद.
5	सोनकच्छ	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, देवास	श्री राधेश्याम मालवीय, बैंक संचालक, ग्राम ओड, तह. सोनकच्छ.
6	खातेगांव	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, देवास	श्री शंकरलाल जी पटेल, बैंक संचालक, ग्राम सिराल्या, तहसील खातेगांव.
7	लोहार्दा	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, देवास	श्री छगनलाल, बैंक संचालक, ग्राम गोदना, तहसील कन्नौद..

पुष्पलतासिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-मंदसौर, मध्यप्रदेश

मंदसौर, दिनांक 20 मई 2011

क्र. 1-भ. क.-09-390.—म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनाओं के क्रियान्वयन, पंजीयन, खातों के संचालन के कार्य में सलाह देने की दृष्टि से जिला स्तर पर मण्डल में जिला सलाहकार समिति निम्नानुसार गठित की जाती हैं:—

जिला सलाहकार समिति जिला मंदसौर

- | | |
|--|-------------|
| 1. जिला कलेक्टर, मंदसौर | अध्यक्ष |
| 2. सहायक श्रमायुक्त, मंदसौर | सदस्य, सचिव |
| 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर | सदस्य |
| 4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मंदसौर/मल्हारगढ़/सीतामऊ/गरोठ/भानपुरा | सदस्य |
| 5. बिल्डर्स/नियोक्ता संघों के दो सदस्य | |
| 1. श्री अशोक कुमार सैनी, दया मंदिर, मंदसौर | सदस्य |
| 2. श्री पुनमचंद ओसवाल, ठेकेदार, दशरथ नगर, मंदसौर | सदस्य |
| 6. उन श्रम संगठनों के प्रतिनिधि जिनका प्रतिनिधित्व मंडल में हो | |
| 1. श्री शिवनारायण भावसार (बीएमएस) नई आबादी, मंदसौर | सदस्य |
| 2. श्री शक्ति वर्मा, (बीएमएस) नूर कालोनी, मंदसौर | सदस्य |
| 3. श्री नाथुलाल कामराज, (इंटेक) नरसिंहपुर, मंदसौर | सदस्य |
| 7. तीन सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि जिनमें एक महिला अनिवार्यतः हो | |
| (यह प्रतिनिधि ट्रेड यूनियनों के न हों) | |
| 1. श्री रघुनंदन कुमावत, ग्राम रेवास देवड़ा तह. व जिला मंदसौर | सदस्य |
| 2. श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, राजेन्द्र रिसोर्ट के पास, मंदसौर | सदस्य |
| 3. श्रीमती सुनीता पति श्री इन्द्रकुमार धाकड़, आदिनाथ विहार, मंदसौर | सदस्य |

महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 6 जून 2011

क्र. एफ 67-76-10-तीन-880.—मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 अप्रैल 2011 के भाग-1 के पृष्ठ क्र. 1183 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ-67-76-10-तीन-431, दिनांक 29 मार्च 2011 में नगर पंचायत जिला शाजापुर अंकित है.

संशोधन

उक्त आदेश में “नगर पंचायत जिला शाजापुर” अंकित है उसके स्थान पर संशोधित शब्द नगर पंचायत बड़ोद जिला शाजापुर अंकित किया जावे.

हस्ता./

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 8 जून 2011

क्र. एफ 67-74-10-तीन-903.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद आगरा जिला शाजापुर के आम निर्वाचन में श्री रूपनारायण माली अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक

17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर (अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक), श्री रूपनारायण माली को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाजन अधिकारी शाजापुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पत्र क्रमांक/न.पा.आ.नि./व्यय लेखा/2009/555, दिनांक 24 जुलाई, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रूपनारायण माली द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रूपनारायण माली को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ 67-74-2010-तीन-2438, दिनांक 18 अगस्त 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के माध्यम से दिनांक 5 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री रूपनारायण माली से जबाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री रूपनारायण माली को नोटिस दिनांक 5 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. अतः नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी श्री रूपनारायण माली द्वारा दिनांक 8 सितम्बर 2010 को एक अभ्यावेदन एवं निर्वाचन व्यय लेखे आयोग को प्रस्तुत किया जिसे आयोग द्वारा परीक्षण हेतु कलेक्टर शाजापुर को दिनांक 4 अक्टूबर 2010 को प्रेषित किये गये. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक/न.पा.नि. 2009/व्य.लेखा/2010/682, दिनांक 23 अक्टूबर 2010 में प्रतिवेदित है कि "श्री माली ने दिनांक 8 सितम्बर 2010 को नोटिस का जवाब प्रेषित किया, जिसमें उसने बताया कि अध्यक्ष पद के निर्वाचन संबंधी समस्या व्यय एवं बिल का लेखा जोखा अपने नगरपालिका परिषद, आगर में उस समय नियुक्त निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया था.

इस संबंध में अभ्यर्थी श्री रूपनारायण माली को कार्या. सूचना-पत्र क्रमांक 606, दिनांक 9 सितम्बर 2010 से निर्वाचन व्यय लेखा की रसीद जिला कार्या. को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया.

अभ्यर्थी ने उक्त सूचना-पत्र के जवाब में आयोग को दिनांक 8 सितम्बर 2010 को कोरियर से भेजी गई निर्वाचन व्यय लेखा की प्राप्त की फोटो कापी प्रेषित की है.

इससे यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में रिट. आफिसर नगरपालिका परिषद, आगर को कोई निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. उसने दिनांक 8 सितम्बर 2010 को सीधे आयोग को कोरियर से निर्वाचन व्यय लेखा प्रेषित किया है. जो संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है. अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन में निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की जो जानकारी दी गई है वह असत्य एवं त्रुटिपूर्ण है. अतः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन एवं निर्वाचन व्यय लेखे अस्वीकार किये जाने योग्य है एवं श्री रूपनारायण माली द्वारा आयोग को प्रेषित निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर जो जिला कार्यालय को प्राप्त हुआ है. इसमें निम्नानुसार कमियां हैं:—

- (1) अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के प्रोफार्मा "ख" (निर्वाचन व्ययों का सार विवरण) में रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की है. नाही शपथ-पत्र भरकर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर कराये हैं.
- (2) अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के अन्दर व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभ्यर्थी श्री रूपनारायण माली द्वारा आयोग को प्रेषित अभ्यावेदन एवं निर्वाचन व्यय लेखा स्वीकार योग्य नहीं है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 7 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री रूपनारायण माली आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामीली श्री रूपनारायण माली को दिनांक 28 फरवरी 2011 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रूपनारायण माली द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रूपनारायण माली को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद, आगर, जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 8 जून 2011

क्र. एफ 67-74-10-तीन-905.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद आगर जिला शाजापुर के आम निर्वाचन में श्री पीरूलाल यादव अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर (अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक), श्री पीरूलाल यादव निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पत्र क्र. न.पा.आ.नि./व्यय लेखा/2009/555, दिनांक 24 जुलाई, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री पीरूलाल यादव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री पीरूलाल यादव को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ 67-74-2010-तीन-2437,

दिनांक 18 अगस्त 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के माध्यम से दिनांक 4 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री पीरूलाल यादव से जबाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री पीरूलाल यादव को नोटिस दिनांक 4 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 19 सितम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक/न.पा.नि. 2009/व्य. लेखा/2010/662, दिनांक 21 अक्टूबर 2010 के द्वारा लेख किया है कि प्रतिवेदन दिनांक 21 अक्टूबर 2010 तक अभ्यर्थी श्री पीरूलाल यादव द्वारा जिला कार्यालय में कोई निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 7 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री पीरूलाल यादव आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली श्री पीरूलाल यादव को दिनांक 21 फरवरी 2011 को कराई गई। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री पीरूलाल यादव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री पीरूलाल यादव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद आगर, जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उइके)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 8 जून 2011

क्र. एफ 67-80-10-तीन-910.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बड़ागांव जिला शाजापुर के आम निर्वाचन में श्रीमती शशीप्रभा पत्नी श्री रमेशचन्द्र दुबे अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर (अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक), श्रीमती शशी प्रभा पत्नी रमेशचन्द्र दुबे को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पत्र क्र. न.पा.आ.नि./व्यय लेखा/2009/555, दिनांक 24 जुलाई, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती शशी प्रभा पत्नी रमेशचन्द्र दुबे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती शशी प्रभा पत्नी श्री रमेशचन्द्र दुबे को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ 67-80-2010-तीन-2441, दिनांक 18 अगस्त 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

शाजापुर के माध्यम से दिनांक 13 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती शशी प्रभा पत्नी रमेशचन्द्र दुबे से जबाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्रीमती शशी प्रभा पत्नी श्री रमेशचन्द्र दुबे को नोटिस दिनांक 13 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 28 सितम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक/न.पा.नि. 2009/व्य. लेखा/2010/694, दिनांक 16 नवम्बर 2010 के द्वारा लेख किया है कि श्रीमती शशी प्रभा पत्नी रमेशचन्द्र दुबे द्वारा सूचना पत्र तामिली के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 16 नवम्बर 2010 तक कोई अभ्यावेदन उनके कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 25 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती शशी प्रभा पत्नी श्री रमेशचन्द्र दुबे आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली श्रीमती शशी प्रभा पत्नी श्री रमेशचन्द्र दुबे को पंजीकृत डाक से दिनांक 28 फरवरी 2011 को कराई गई। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती शशी प्रभा पत्नी श्री रमेशचन्द्र दुबे द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती शशी प्रभा पत्नी श्री रमेशचन्द्र दुबे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, बड़ागांव, जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 8 जून 2011

क्र. एफ 67-80-10-तीन-911.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बड़ागांव जिला शाजापुर के आम निर्वाचन में श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं। इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर (अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक), श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर से पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पत्र क्र. न.पा.आ.नि./व्यय लेखा/2009/555, दिनांक 24 जुलाई, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ 67-80-2010-तीन-2732, दिनांक 7 अक्टूबर 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के माध्यम से दिनांक 21 अक्टूबर 2010

को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) से जबाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) को नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 5 नवम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक/न.पा.नि. 2009/व्य. लेखा/2010/76, दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा लेख किया है कि श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) द्वारा नोटिस तामिली दिनांक 21 अक्टूबर 2010 के उपरान्त दिनांक 7 दिसम्बर 2010 को जिला कार्यालय में एक माह 17 दिन बाद त्रुटिपूर्ण लेखा प्रस्तुत किया गया।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 25 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) को पंजीकृत डॉक से दिनांक 2 मार्च 2011 को कराई गई। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती विधि पत्नी श्री हुकुमसिंह (फौजी) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, बड़ागांव जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

राचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. -भू-अर्जन-10-751-प्र. क्र. 2-अ-82-10-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	बाजना	इमलीपाड़ा कला	2.000	सचिव, कृषि उपज मण्डी, सैलाना.	कृषि उपज उप मण्डी, बाजना के स्थापना हेतु.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना, जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम, दिनांक 2 मई 2011

क्र. 2216-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 5-अ-82-2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	रतलाम	सिमलावदा	0.153	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	लेबड़-नयागांव फौरलेन मार्ग पर अतिरिक्त सुविधा सर्विस रोड निर्माण बाबत.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड रतलाम ग्रामीण के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 552-प्र. क्र. 9-अ-82-2010-11-2737.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	अटरिया	0.474	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, म. प्र.	अटरिया जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2011

क्र. 892-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कपसा मामला	2.652	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट सबमाइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 894-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रहट	2.082	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, म. प्र.	बाणसागर, परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट सबमाइनर नं. 3 में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 7 जून 2011

क्र. 935-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	खाम्हा	0.993	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की मुख्य नहर के शाखा नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 जून 2011

क्र. 4434-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	बिछुआ	ग्राम-जमुनियांकलां ब.नं.-145, प.ह.नं.-05/32 रा.नि.मं.-बिछुआ.	रकबा 0.711 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	जमुनियांकलां जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		
(3)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		
(4)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		
(5)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 3 जून 2011 / 31 मई 2011

प्र. क्र. 05-अ-82-2010-11-213.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नम्बर रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	गुना	बेहेटाघाट	410/1/1-त्र में से योग कुल : 0.430	मुख्य नगरपालिका अधिकारी (जल प्रकोष्ठ) गुना.	गुना नगर की जलप्रदाय योजनान्तर्गत सिंध नदी पर एनीकट निर्माण.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेशचन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 4 जून 2011

क्र. 9072-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	रोज्या	30.120	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	रोज्या तालाब के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन (बांध, वेस्टवियर एवं डूब क्षेत्र).
			कुल योग : 30.120		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9076-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

नहर में प्रभावित भूमि :

राजगढ़	राजगढ़	सुस्तानी	2.331	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	चौतरा तालाब योजना के नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष अर्जित.
राजगढ़	राजगढ़	देवलीचारण	0.180		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :					
राजगढ़	राजगढ़	चौतरा	1.575		
राजगढ़	राजगढ़	देवलीचारण	0.064		
राजगढ़	राजगढ़	धुलेन	1.736		
राजगढ़	राजगढ़	डुबली	2.346		
			कुल योग : 8.232		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 6 जून 2011

क्र. 9159-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	रावतपुरा	0.180	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	रावतपुरा नहर निर्माण हेतु शेष
		खाजला	0.570	संभाग, राजगढ़.	भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	देवलीकलां	0.190	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	रावतपुरा तालाब के निर्माण हेतु
				संभाग, राजगढ़.	शेष रही भूमि का अर्जन.
			कुल योग : 0.940		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 9162-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	पड़ोनिया	2.184	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	सूरजपुरा तालाब योजना के
				संभाग, राजगढ़.	डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित
			कुल योग : 2.184		भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1)	(2)	(3)
64	0.001	
62	0.170	
63	0.024	
	<u>योग . . 2.59</u>	

रीवा, दिनांक 30 मई 2011

क्र.-882-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—बम्हौरी चौथ
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.59 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
340	0.145	
317	0.098	
326	0.270	
314	0.098	
313	0.078	
318	0.280	
319	0.035	
277	0.186	
276	0.039	
274	0.201	
273	0.005	
35	0.020	
54	0.261	
57	0.220	
58	0.015	
60	0.150	
59	0.294	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चर्चाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 884-प्रशासक-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—जगहथा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.074 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
320/1	0.074
	<u>योग . . 0.074</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— झिन्ना माइनर की भदवा सब माइनर नहर के अन्तर्गत में आने वाली में निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-886-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—कपसा मामला
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.747 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकवा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
778	0.12	
779	0.180	
780	0.007	
776	0.252	
775	0.108	
807	0.028	
808	0.111	
806	0.084	
810	0.09	
821	0.039	
811	0.001	
820	0.132	
819	0.12	
818	0.096	
816	0.12	
817	0.001	
826	0.012	
825	0.064	
829	0.001	
830	0.181	
योग . .	1.747	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-888-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—हरदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.43 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकवा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
59	0.144	
58	0.15	
55	0.029	
56	0.053	
70	0.032	
69	0.074	
68	0.064	
67	0.096	
82	0.12	
81	0.038	
83	0.045	
89	0.029	
88	0.304	
93	0.016	
87	0.173	
94	0.001	
95	0.024	
167	0.045	
166	0.029	
162	0.051	
163	0.144	
164	0.088	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
161	0.018		15	0.316
159	0.035		34	0.078
258	0.144		36	0.077
157	0.036		37	0.175
272	0.120		39	0.137
273	0.197		40	0.002
275	0.134		41	0.179
276	0.082		42	0.192
277	0.074		43	0.013
278	0.156		44	0.096
141	0.020		योग . . .	<u>1.695</u>
279	0.438			
265	0.011			
योग . . .	<u>3.43</u>			
			मध्यप्रदेश शासन	
			45	0.002
			योग . . .	<u>1.697</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 7 जून 2011

क्र. 927-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—बलहरा (3) (163)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.697 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
13	0.430

क्र. 929-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—शाहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.190 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
24	0.004
27	0.192
28	0.056

(1)	(2)	(1)	(2)
42	0.020	मध्यप्रदेश शासन	
43	0.147	106	0.032
44	0.164	187	0.080
49	0.124	191	0.040
50	0.020	603	0.040
96	0.044		योग . . 4.190
97	0.040		महायोग . . 4.190
99	0.060		
100	0.080	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर
111	0.028		परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की दुलहरा
112	0.214		माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित
115	0.080		संपत्तियों के अर्जन हेतु.
116	0.012	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर
117	0.222		परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
118	0.012		
123	0.202		
188	0.040		क्र. 931-भू-अर्जन-06-07.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात
189	0.032		का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में
190	0.115		वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक
192	0.140		प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
194	0.064		(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह
195	0.184		घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन
204	0.008		हेतु आवश्यकता है :—
238	0.028		अनुसूची
239	0.072	(1)	भूमि का वर्णन—
242	0.016	(क)	जिला—रीवा
246	0.088	(ख)	तहसील—रामपुर बघेलान
249	0.112	(ग)	नगर/ग्राम—गोलहटा वृत्त
305	0.024	(घ)	लगभग क्षेत्रफल—10.691 हेक्टर.
307	0.232		
308	0.044		खसरा नं.
309	0.004		रकबा
310	0.064		(हे. में)
311	0.072	(1)	(2)
312	0.072	2	0.200
313	0.088	3	0.140
314	0.140	34	0.400
323	0.024	30	0.240
592	0.128	29	0.020
593	0.168	51	0.150
596	0.118	52	0.600
597	0.160	53	0.008
	योग . . 3.998	61	0.260
		63	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
62	0.150	188	0.110
65	0.400	173	0.120
66	0.060	222	0.150
68	0.025	221	0.070
452	0.200	215	0.160
451	0.210	216	0.040
448	0.400	172	0.040
454	0.016	166	0.090
447	0.200	164	0.020
443	0.008	176	0.140
444	0.060	212	0.080
445	0.350	211	0.008
410	0.060	257	0.200
411	0.030	619	0.165
409	0.210	622	0.020
414	0.025	614	0.020
415	0.004	608	0.070
418	0.012	609	0.060
419	0.004	606	0.120
129	0.600	607	0.120
188	0.020	605	0.040
165	0.020	634	0.070
408	0.070	630	0.004
407	0.110	637	0.140
406	0.110	638	0.004
65	0.400	641	0.180
124	0.012	640	0.050
74	0.004	647	0.008
70	0.090	651	0.280
71	0.020	765	0.180
72	0.020	766	0.060
79	0.008	769	0.090
80	0.080	765	0.008
69	0.050	770	0.390
83	0.055	755	0.025
84	0.060	771	0.320
89	0.080	175	0.090
90	0.020		योग . . . 10.691
93	0.020		
94	0.140		
122	0.180		
125	0.240		
126	0.070		
131	0.050		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 933-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—लौलाछ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.079 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा
(हे. में)

(1)

(2)

249	0.050	1317	0.030
927	0.050	1318	0.190
235	0.120	1319	0.025
244	0.084	1429	0.260
231	0.160	1438	0.190
230	0.004	1437	0.080
228	0.190	1436	0.060
227	0.012	1435	0.040
226	0.180	1434	0.020
925	0.060	1443	0.020
195	0.070	1444	0.100
194	0.070	112	0.060
193	0.240	113	0.070
189	0.150	108	0.105
190	0.150	109	0.165
187	0.040	102	0.060
186	0.210	103	0.090
119	0.110	141	0.210
120	0.150	142	0.004
123	0.008	148	0.045
122	0.070	151	0.110
121	0.040	91	0.090
115	0.150	152	0.008
99	0.004	89	0.140
98	0.100	88	0.190
145	0.050	87	0.100
93	0.180	362	0.020
147	0.040	363	0.170
92	0.070	364	0.020
		366	0.110
		381	0.030
		382	0.170
		420	0.090

(1)	(2)	(1)	(2)
1153	0.020	350	0.040
1161	0.090	348	0.030
1166	0.004	361	0.100
1160	0.075	360	0.050
1167	0.130	359	0.012
1168	0.004	707	0.105
1172	0.110	717	0.090
1171	0.130	770	0.100
1170	0.070	758	0.030
1175	0.170	761	0.070
774	0.060	763	0.055
1189	0.004	762	0.050
1180	0.065	765	0.060
767	0.030	378	0.030
1133	0.025	377	0.040
1132	0.004	386	0.210
1130	0.110	387	0.060
1129	0.090	388	0.100
1693	0.060	329	0.025
1121	0.240	391	0.050
1120	0.015	328	0.030
1364	0.010	327	0.200
1365	0.060	325	0.040
1550	0.070	324	0.030
1100	0.008	317	0.030
1548	0.090	318	0.025
1546	0.150	419	0.040
1554	0.030	711	0.050
1575	0.110	712	0.060
1576	0.070	710	0.060
1577	0.050	773	0.025
1578	0.045	772	0.030
1581	0.016	924	0.110
1587	0.060	929	0.016
1582	0.020	928	0.070
1586	0.020	1585	0.060
1299	0.040	1293	0.016
84	0.040	769	0.030
82	0.004	1301	0.016
223	0.004	1430	0.020
696	0.200	1431	0.008
716	0.170	713	0.120
353	0.170	714	0.040
354	0.070		
351	0.200		
		योग . .	<u>13.079</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	2496	0.050
	2247	0.450
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	2246	0.360
	2245	0.070
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.	2243 में से	0.180
	2243/1 में से	0.100
	2242	0.100
	2072/2	0.070
	2063/1	0.500
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश	2063/3	0.100
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	2067/1	0.320
राजस्व विभाग	2066/1	0.130
विदिशा, दिनांक 1 जून 2011	1874 में से	0.250
	1874 में से	0.050
	2053	0.180
	2054	0.180
पृ. क्र.-01- अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम नम्बर (6) में वर्णित उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—	1890/1	0.100
	1890/2	0.100
	1890/3	0.100
	1891/1	0.270
	1891/2	0.300
	1891/3	0.300
	1892/1	0.090
	1893	0.170
	1900	0.720
	1906	0.080
अनुसूची	1535/2	0.010
(1) भूमि का वर्णन—	1901/2	0.060
(क) जिला—विदिशा	1835/1	0.020
(ख) तहसील/तालुका—सिरोंज	1536/1	0.100
(ग) नगर/ग्राम—कस्बा सिरोंज	1901/1	0.040
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.300 हेक्टेयर	1536/1	0.040
खसरा नम्बर	1535	0.040
(1)	1536 में से	0.010
रकबा (हेक्टर में)	1541	0.043
(2)	1542	0.045
कस्बा सिरोंज	1570	0.070
2592/3	1574 में से	0.060
2592/2	1575	0.010
2581	1580	0.010
2582	1291	0.080
2577	1290	0.064
2573	1289	0.056
2570	1288	0.006
2569		
2494		
2495		

(1)	(2)
1283/1	0.080
1256	0.064
1144	0.210
1082	0.050
1088/3	0.064
1085	0.164
59	0.174
57	0.100
48	0.100
47	0.200
1255	0.060
1571/1	0.020
1571/2	0.020
1889	0.040
2244/1	0.020
2582	0.040
44	0.150
23/2 में से	0.180
23/2 में से	0.450

योग . . . 10.258

ग्राम-कल्याणपुर

63	0.450
64	0.420
65	0.300
66	0.280
67	0.270
68	0.390
69	0.300

योग . . . 2.410

ग्राम-छीपीखेड़ी

1/1	0.316
1/2	0.050
3	0.266

योग . . . 0.632

कुल योग . . . 13.300

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है— सिरोंज बाँयपास के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 जून 2011

क्र. 4435-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौंसर
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-हिवराखाण्डेरायवार, प. ह. नं. 17
ब.नं. 416, रा.नि. मंडल-सौंसर
(घ) अर्जित किये जाने—06.221 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली
क्षेत्रफल. सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
112	0.216
113/2	0.056
141/1	0.023
141/3	0.164
143/1	0.050
143/4	0.084
142	0.124
140/3	0.084
136/1	0.268
136/2	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
135	0.150	244	0.063
134/1	0.139	245	0.418
134/2	0.123	246/2	0.104
132	0.113	249/1	0.117
133/1	0.128	303/2	0.117
62	0.256	249/2	0.106
61	0.284	250	0.052
31	0.045	287	0.072
32	0.035	288	0.072
33	0.039	289/1	0.074
34	0.032	289/2	0.074
38/2	0.015	290/2	0.035
57/2	0.028	291	0.050
58	0.150	298	0.072
37/1, 2	0.030	301	0.097
280/2	0.035	302	0.126
38/1	0.015	297	0.040
39/2	0.201	294	0.032
49/1	0.032		
49/6	0.022	कुल योग . .	06.221 हेक्टेयर एवं
49/8	0.022		प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
50/3	0.054		आने वाली सम्पत्तियां.
51/2	0.064		
53/4	0.050	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक
55/5	0.069		प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता
271	0.058		है—बेरडी से लोधीखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये ग्राम
270/5	0.078		हिवाराखाण्डेरायवार निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
270/1	0.071	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का
269/2	0.026		नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा,
269/1	0.019		छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा
273	0.080		सकता है.
274	0.093	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के
275/3	0.063		नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक
279/2	0.055		निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा
275/4	0.030		के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
279/4	0.128	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा
279/3	0.055		(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी,
275/2	0.063		लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग सौंसर, जिला
280/1	0.035		छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
280/3	0.048		
292	0.214		
243	0.034		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 2 जून 2011

क्र. क्यू-5065-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—शिवपुरी

(ग) ग्राम—गिरमौरा

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल— 48.76 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल
(हेक्ट. में)

(1)

(2)

88

0.57

89

0.95

90

0.17

91

0.26

129

2.57

130/2

0.60

190

0.60

191

2.74

194/1

1.31

194/2

1.50

196

3.01

199

2.01

200

2.01

201

1.73

202

1.17

203

0.01

204

0.78

205

0.32

(1)

(2)

210

1.00

211

1.50

214/1

0.10

216

0.71

218

1.29

219

2.10

220

2.53

221

0.62

222

5.05

223/1

0.32

223/2

0.63

224

0.45

225

0.42

228

0.19

229

0.55

230

2.07

231/1

1.68

231/2

0.84

232

0.28

233

0.47

234/1

0.53

234/2

1.00

235

0.76

236

0.48

214/2

0.30

214/3

0.06

179

0.42

183

0.10

योग . . . 48.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुरिला तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 2 जून 2011

क्र. 2218-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 4-अ-82-2010-

11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—पिपलोदा
(ग) नगर/ग्राम—पाड़लिया हसन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.104 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
268/1	0.240
125/2	0.310
125/3	0.390
286/3	0.070
278	0.328
305/1/3	0.100
308/6	0.006
399	0.200
308/2	0.100
309	0.040
310	0.020
308/4	0.020
308/5	0.030
283	0.030
285/1	0.030
288/2	0.030
286/3	0.030
286/4	0.030
289/1	0.060
283/423	0.040
योग . .	<u>2.104</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—लेबड़ नयागांव एन. एच. (79) मार्ग के फोरलेन में छूटे गये सर्वे नंबरों की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 जून 2011

प्र. क्र. 4417-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—गढ़ाकोटा
(ग) ग्राम—चक परासिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —24.00 हेक्टेयर

खसरा नं. (में से)	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
3/2	0.05
15	0.18
18	1.30
19	1.20
20/1	1.50
20/2	0.30
24	3.07
26/3	0.20
26/4	0.50
26/6	0.10
29	1.15

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—लालपुरा, किशनपुरिया, परसपुरा, कुशलपुरा, रोज्या एवं रोजडखुर्द.

(घ) क्षेत्रफल —55.211 हेक्टेयर

सर्वे नं.

रकबा

(हे. में.)

(1)

(2)

ग्राम-लालपुरा

32/1

0.050

32/2

0.051

योग : 0.101

ग्राम-किशनपुरिया

200/1

0.250

201

0.700

200/2

0.232

योग : 1.182

ग्राम-परसपुरा

6

1.360

9/3

4.000

9/2

1.000

47

0.519

29

0.291

30

0.076

36

5.553

9/4

1.170

9/1

0.280

43/1

1.400

31

0.600

32

0.569

33

0.190

8

0.800

5/1

0.240

5/2

0.240

45

0.304

26

0.307

25

0.100

34

2.500

योग : 21.499

(1)	(2)
31	0.60
32	1.15
33	1.15
34/1	6.75
34/2	0.40
35/1	0.51
35/2	1.00
36	1.15
37	3.80
38	0.17
40	0.80
54	0.20
55/1	0.92
55/2	0.93
55/3	0.92
योग :	<u>24.00</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—चनौआ बुजुर्ग जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश
शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 4 जून 2011

क्र. 9070-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (गोरखपुरा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित

(1)	(2)	(1)	(2)
	ग्राम-कुशलपुरा	13/2	0.900
4/2/8	1.550	33/2/1	0.500
4/7	0.320	21/5	0.060
4/2/3	1.940	17/2	1.595
4/2/6	1.500	19/1	0.100
5/1/3	0.400	13/4	0.300
16/6	0.950	21/3	0.224
8	0.196	21/1/3	1.000
4/2/1	1.500	17/3	0.500
4/2/4	1.500	19/2	0.100
4/2/7	1.500		<u>योग : 8.380</u>
5/1/4	0.330		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—
16/5	0.370		गोरखपुरा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में प्रभावित
4/6	0.800		भूमि हेतु.
4/2/2	1.500		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय
4/2/5	1.500		अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा
4/19	1.800		सकता है.
16/7	0.310		सं. 9074-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात
	<u>योग : 17.966</u>		का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में
	ग्राम-रोज्या		वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक
21/5	0.560		प्रयोजन (बड़लावदा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित
21/4	0.500		भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
28/6	0.100		(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह
27/6	1.275		घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
27/9	0.100		आवश्यकता है:—
22/3	0.160		अनुसूची
20/1/2	0.160		(1) भूमि का वर्णन—
27/1	0.300		(क) जिला—राजगढ़
27/7	0.700		(ख) तहसील—राजगढ़
19/2	0.328		(ग) ग्राम—खुजनेर एवं बड़लावदा
31/8	0.100		(घ) क्षेत्रफल —3.137 हेक्टेयर में
27/5	1.700		
27/8	0.100		सर्वे नं.
	<u>योग : 6.083</u>		रकबा
	ग्राम-रोजडखुर्द		(हे. में.)
15	1.500		(1)
33/5	0.480		(2)
21/4	0.300		ग्राम-खुजनेर
21/1/2	0.032		3284/2
17/4	0.789		0.308
			<u>योग : 0.308</u>
			ग्राम-बड़लावदा
			227/2/1
			0.100
			363/5
			0.832

(1)	(2)	(1)	(2)	(3)
363/6	0.629	1479-1		
363/1/2	0.051	1479-2		0.293+0.314
418	0.685	1479-3	1.37	=0.607
399	0.532	1479-4		
योग : <u>2.829</u>		1480	0.972	0.376
		1481-11	0.9820	0.523
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बड़लावदा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु,		1482-11	0.816	0.398
		1499-2	0.596	0.596
		1500	0.878	0.010
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		1626-1		
		1626-2		
		1626-3	3.543	0.502
		1626-4		
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		1633-7		
		1633-2		
		1633-3	5.977	0.794
		1633-4		
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		1633-5		
		1633-6		
ग्वालियर, दिनांक 6 जून 2011		687	0.428	0.157
		749	1.202	0.363
		750	1.223	0.304
		755	0.512	0.010
		756	0.637	0.219
		757-II	0.606	0.052
		783-II	0.543	0.063
		784	1.484	0.219
		787	0.669	0.188
		801-I	0.648	0.107
		812-I	0.857	0.198
		813-I	0.084	0.020
		814-I	0.648	0.147
		828-II	0.763	0.240
		830-II	0.679	0.240
		831	0.543	0.005
		836-1	0.784	0.209
		837	1.411	0.030
		838-1	0.188	0.160
		839	0.564	0.010
		844-1	0.910	0.240
		848-1	2.811	0.365
		848-3	0.88	-
		848-3	0.88	-
		848-4	0.209	-
(1)	(2)	(3)		
1456	0.470	0.136		
1478/11478/2				
1478/2	2.006	0.355		

(1)	(2)	(3)
848-5	0.481	-
852-II	0.658	0.167
853	0.178	0.042
861-1	0.209	0.105
862-11	0.182	0.178
874	0.105	0.021
875-1	0.345	0.157
876-1	0.585	0.052
904-1	0.031	0.005
907	0.178	0.105
908	0.136	0.021
913-1	0.219	0.025
441-II	1.035	0.157
442-II	0.627	0.251
443-II	1.703	0.021
444-I	2.236	0.325
585-1	0.585	0.136
584-1	1.233	0.230
591	0.742	0.005
592	0.491	0.199
593	1.0661	0.073
597-1	1.181	0.287
598	0.120	0.050
600/1	0.00	
600/2	1.724	0.272
601/1	0.679	
601/2	1.157	
-	1.829	0.210
759-1	0.648	0.199
760-1	1.003	0.345
765-1	0.178	0.084
766-1	0.272	0.022
767-1	1.066	0.157
768-1	0.679	0.115
769	1.547	0.183
675	0.815	0.188
676	0.909	0.219
677	0.543	0.010
684-1	0.795	0.005
685	8.855	0.177
योग :		12.643

- (2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-06-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
 (ख) तहसील—ग्वालियर
 (ग) नगर/ग्राम—बस्तरी
 (घ) क्षेत्रफल—19.98 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
96	0.481	0.320
97	0.670	0.370
100	0.260	0.140
102	0.370	0.260
103	0.520	0.090
104	0.700	0.330
105	0.430	0.120
106	0.430	0.070
107	0.400	0.040
110	1.090	0.070
112	0.440	0.190
113	0.320	0.200
114	0.490	0.220
115	4.450	0.050
118	1.120	0.290
132	1.020	0.250
133	0.630	0.400
138	0.840	0.300
160	0.720	0.330
161	0.830	0.140
162	0.950	0.540
163	0.310	0.240
176/724	0.680	0.310
177	0.50	0.220

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
178	0.280	0.100	89	0.820	0.130
329	1.850	0.440	90	1.070	0.080
331	0.660	0.510	91	0.710	0.090
358	0.600	0.050	92	0.160	0.010
359	1.030	0.260	93	0.790	0.280
361	0.170	0.010	122	0.620	0.090
362	0.700	0.360	124	1.250	0.260
363	0.290	0.250	125	0.930	0.010
369	0.740	0.350	126	1.140	0.290
370	0.090	0.060	127	0.900	0.200
371	0.720	0.220	184	0.110	0.040
373	0.930	0.450	187	0.320	0.020
374	1.090	0.640	188	0.310	0.270
379	1.090	0.410	189	0.310	0.010
380	2.070	0.560	191	0.320	0.040
384	1.180	0.030	192	0.320	0.070
385	1.180	0.440	193	0.240	0.010
386	0.570	0.180	194	0.024	0.120
387	0.570	0.090	195	0.240	0.010
494	1.160	0.550	198	0.330	0.110
497	0.420	0.020	208	0.650	0.190
499	0.610	0.430	210	0.390	0.150
500	1.170	0.580	231	1.050	0.050
501	1.370	0.100	232	0.930	0.190
517	1.250	0.030	233	1.340	0.190
518	0.210	0.020	235	1.520	0.270
519	0.530	0.450	247	0.130	0.040
520	0.620	0.120	248	0.670	0.130
521	2.340	0.820	260	0.490	0.070
602	0.200	0.090	259	0.410	0.150
604	0.330	0.250	262	0.640	0.180
605	0.330	0.270	263	1.230	0.300
606	0.330	0.250	264	0.540	0.070
607	0.790	0.470	309	2.120	0.080
608	0.630	0.040			
609	1.370	0.040			
139	0.80	0.090			
82	0.350	0.010			
83	0.390	0.090			
84	0.350	0.100			
85	0.480	0.060			

योग . . . 19.98

- (2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 जून 2011

प्र. क्र. 61-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—विजासेन
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —1.045 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)

विजासेन बांयी माइनर

100/3/1/4/2	0.099
100/3/2/1	0.067
100/3/3/1	0.092
100/3/4	0.270
110	0.150
111	0.022

सड़वा कोल माइनर

837	0.125
838	0.019
840	0.133
841	0.050
842	0.018

योग . . 1.045

- (2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सड़वा कोल माइनर नं. 1 एवं विजासेन बांयी माइनर नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंडी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 68-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—दुमखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —1.486 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हे.में)
(1)	(2)
5	0.162
6/2	0.080
7/1	0.062
7/2	0.062
59/1/1	0.071
59/2	0.119
129/2	0.228
129/3	0.140
129/4	0.316
129/5	0.206
133	0.040
योग . . 1.486	

- (2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की दुमखेड़ा नं. 1 वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंडी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 75-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—रामपुरघोषी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —1.793 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या

(1)	(2)
40	0.018
48	0.098
49	0.109
50/2	0.066
50/3	0.065
51/1	0.026
51/2	0.103
96/2	0.039
96/3	0.079
97	0.061
99	0.115
102	0.064
103	0.099
104/2	0.003
109	0.178
110	0.094
122	0.069
123/1	0.154
123/2	0.064
128	0.029
152/1	0.074
154/2	0.065
154/1	0.029
155/2	0.019
156/1	0.051
156/4	0.022

योग . . . 1.793

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की महेबा माइनर की रामपुरघोषी उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंडी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 87-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—खुर्दगुड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —3.550 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या

(1)	(2)
1	0.180
4/1	0.001
5	0.024
6	0.140
11/1	0.077
11/2	0.004
12	0.001
13	0.105
14	0.026
17	0.064
71	0.230
73	0.170
74	0.001
75	0.105
77/1	0.072
198	0.130
258/2	0.088
259	0.016
260	0.104
261	0.008
262/1	0.001
262/2	0.024
263/1	0.003
265/2	0.001
266	0.212
267	0.034
269/2	0.020
269/3	0.103

(1)	(2)	(1)	(2)
270	0.003	332	0.090
299	0.055	334/1	0.160
300	0.024	334/2	0.030
303	0.143	334/3	0.035
308	0.048		
309/2	0.202		योग . . 3.550
312/1	0.016	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरियारपुर
312/2	0.038		बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की व्यासबदौरा
313	0.048		वितरक नहर के निर्माण हेतु.
314	0.022	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी
315	0.065		एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंडी में किया
323	0.092		जा सकता है.
324	0.265		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
327	0.005		राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
328	0.115		
331	0.150		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश, एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 6 जून 2011

नस्ती क्रमांक 59-2010-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 28-अ-82-09-10-शुद्धि-पत्र.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम पालसूद रैयत, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्र. 28-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, में दिनांक 25 जून 2010 को अग्निबाण में दिनांक 17 जून 2010, चौथा संसार में दिनांक 18 जून 2010 एवं आम इश्तहार दिनांक 11 जून 2010 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे.में) (2)	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे.में.) (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25-6-2010	333/1	0.04	335/1	0.04
	333/2	0.03	335/2	0.03
	333/3	0.04	335/3	0.04
	333/4	0.04	335/4	0.04
अग्निबाण में दिनांक 17-6-2010	333/1	0.04	335/1	0.04
	333/2	0.03	335/2	0.03
	333/3	0.04	335/3	0.04
	333/4	0.04	335/4	0.04
चौथा संसार में दिनांक 18-6-2010	333/1	0.04	335/1	0.04
	333/2	0.03	335/2	0.03
	333/3	0.04	335/3	0.04
	333/4	0.04	335/4	0.04
आम इश्तहार में दिनांक 11-6-2010	333/1	0.04	335/1	0.04
	333/2	0.03	335/2	0.03
	333/3	0.04	335/3	0.04
	333/4	0.04	335/4	0.04

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.01 हे. यथावत् रहेगा.

नस्ती क्रमांक 218-2009-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 16-अ-82-08-09-शुद्धि-पत्र.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम चिचलीखुर्द, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्र. 16-अ-82-08-09 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 23 अक्टूबर 2009 को नई दुनिया में दिनांक 22 अक्टूबर 2009, स्वदेश में दिनांक 23 अक्टूबर 2009 एवं आम इशतहार दिनांक 22 अक्टूबर 2009 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे.में) (2)	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे.में.) (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 23-10-2009	95 108	0.11 9.12	97 108	0.11 0.12
नई दुनिया में दिनांक 22-10-2009	95	0.11	97	0.11
स्वदेश में दिनांक 23-10-2009	95	0.11	97	0.11

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.03 हे. यथावत् रहेगा.

नस्ती क्रमांक 279-09-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 34-अ-82-08-09-शुद्धि-पत्र.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम जामन्या, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्र. 34-अ-82-08-09 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 23 अक्टूबर 2009 को नई दुनिया में दिनांक 23 अक्टूबर 2009, इन्दौर समाचार-पत्र में दिनांक 22 अक्टूबर 2009 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे.में) (2)	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे.में.) (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 23-10-2009	161/2	0.12	261/2	0.12
नई दुनिया में दिनांक 23-10-2009	161/2	0.12	261/2	0.12
इन्दौर समाचार-पत्र में दिनांक 22-10-2009	161/2	0.12	261/2	0.12

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 5.69 हे. यथावत् रहेगा.

नस्ती क्रमांक 132-2010-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 45-अ-82-09-10-शुद्धि-पत्र.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम रोहणी, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्र. 45-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन स्वदेश समाचार-पत्र में दिनांक 24 अक्टूबर 2010 एवं चौथा संसार में दिनांक 24 अक्टूबर 2010 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे.में) (2)	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे.में.) (2)
स्वदेश में दिनांक 24-10-2010	58	0.10	583/2	0.10
चौथा संसार में दिनांक 24-10-2010	58	0.10	583/2	0.10

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.25 हे. यथावत् रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र. ई-2107-दो-14-1-2011.—श्री एन. एस. लखेरा, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की नियुक्ति/पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500—200—10,500(पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9,300—34,800+ग्रेड पे रु. 4200) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है। यदि वे पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करते हैं तो उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक, जो भी पूर्व में हो, तक विचार नहीं किया जावेगा। यदि वे पदोन्नति पर दिनांक 5 मई 2011 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो वे लिखित में अपनी असहमति प्रस्तुत करेंगे कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।

जबलपुर, दिनांक 31 मई 2011

क्र. बी-1719.—श्री ए. के. शर्मा, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को उनके आवेदन-पत्र दिनांक 18 मई 2011 में दी गई सहमति के आधार पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद वेतनमान रु. 8000—275—13500/- (पुनरीक्षित पे बैंड रु. 15600—39100+रु. 5400 ग्रेड पे) पर पदावनत करते हुये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2011

क्र. ए-1195-चार-8-42-77-तेरह.—श्री ए. के. छपरिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बिजावर जिला-छतरपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के आदेश क्रमांक-339-दो-11-7-06, दिनांक 17 सितम्बर 2010 के अन्तर्गत स्वीकृत दिनांक 1 जुलाई 2010 से 27 अगस्त 2010 तक अट्ठावन दिवस का अवैतनिक अवकाश का आदेश निरस्त किया जाता है।

श्री ए. के. छपरिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बिजावर जिला-छतरपुर को दिनांक 1 जुलाई 2010 से 27 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए अट्ठावन दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. छपरिया, द्वितीय व्यवहार

न्यायाधीश वर्ग-2, बिजावर जिला-छतरपुर को बिजावर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. छपरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 मई 2011

क्र. ई-2355-दो-2-17-2011.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 7 से 8 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 9 एवं 10 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. ई-2359-दो-2-29-2006.—श्रीमती केशर यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 11 से 15 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 9 एवं 10 अप्रैल 2011 के एवं पश्चात में दिनांक 16 एवं 17 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती केशर यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती केशर यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. ई-2362-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 30 अप्रैल 2011 से 5 मई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 19 मई, 2011

क्र. 742-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजेश गुप्ता, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.	नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 20 मई, 2011

क्र. 746-गोपनीय-2011-दो-3-250-57 (भाग-29).— रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 512-गोपनीय-2011-दो-3-250-57 (भाग-29), दिनांक 1 अप्रैल 2011 की सारणी के सरल क्रमांक (4) पर अंकित सुश्री सपना कौशल के नाम के सामने स्तम्भ क्रमांक (4) पर अंकित "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)" के स्थान पर "प्रथम व्यवहार

न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)" पढ़ा जावे।

जबलपुर, दिनांक 24/25 अप्रैल, 2011

क्र. 623-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).— रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 304-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए) जबलपुर, दिनांक 24 फरवरी, 2011 द्वारा श्री प्रेमचन्द शर्मा की पदस्थापना अशोकनगर से मण्डलेश्वर पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से होने के फलस्वरूप, रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 998-गोपनीय-2010, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010, जहां तक इसका संबंध, श्री अनुपम श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर का इंदौर से मण्डलेश्वर पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय के पद पर स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर अर्थात् चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के रूप में कार्य करते रहेंगे।

जबलपुर, दिनांक 25 मई, 2011

क्र. 770-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री आनन्द प्रिय राहुल, तत्कालीन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर निलंबन अवधि का मुख्यालय, सीहोर, का निलंबन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 123-C.J.-II-751, दिनांक 22 मई 2011 द्वारा खंडित (Revoke) होने के फलस्वरूप उन्हें तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, छतरपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

जबलपुर, दिनांक 24 मई, 2011

क्र. 759-गोपनीय-2011-दो-2-36-61 (Part-V).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 9 (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उच्च न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा:—

क्रमांक	उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे	रायसेन
2	श्रीमती अनुराधा शुक्ला	सतना
3	श्री संजीव सुधाकर कालामांवर	भोपाल

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4	श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया	जबलपुर	9	श्रीमती आरती आर्य	भोपाल
5	श्री अमनीस कुमार वर्मा	मुरैना	10	श्री गुलाब चंद्र मिश्रा	रीवा
6	श्री प्रेमनारायण सिंह	जबलपुर	11	श्री आदेश कुमार जैन	बुरहानपुर
7	श्री अचल कुमार पालीवाल	पिपरिया	12	श्री मनीष शर्मा	गोहद
8	श्रीमती उषा श्रीत्रिय	खरगौन	13	श्री किशोर कुमार मिश्रा	अमरपाटन
9	श्री श्यामाचरण उपाध्याय	मुलताई	14	श्री रवि झारोला	बदनावर
10	श्री हृदेश	ग्वालियर	15	श्रीमती रेखा आर. चंद्रवंशी	बड़वानी
11	श्री अविन्द्र कुमार सिंह	इंदौर	16	श्री राजेश सिंह	सीधी
12	श्री गोपाल श्रीवास्तव	सतना	17	कुमारी सोनल चौरसिया	टीकमगढ़
13	श्री अखिलेश जोशी	शुजालपुर	18	श्री पंकज यादव	सिवनी मालवा
14	श्री प्रेम कुमार सिन्हा	इंदौर	19	श्री मोहम्मद अरशद	मेहगांव
15	श्री गुणवंत सिंह सलूजा	मनासा	20	श्री आशुतोष अग्रवाल	मण्डला
16	श्री अरूण कुमार सिंह (सीनियर)	सतना	21	श्री राकेश बंसल	जावद
17	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	ग्वालियर	22	कुमारी शिप्रा पटेल	सतना
18	श्रीमती गिरिबाला सिंह	जबलपुर	23	श्री नीरज कुमार शर्मा	हटा
19	श्री राम कुमार चौबे	जबलपुर	24	श्री रवि प्रकाश जैन	अशोकनगर
20	श्री बिनोद कुमार द्विवेदी	भोपाल	25	श्री आनंद गौतम	डबरा
21	श्री राम लाल यादव	झाबुआ	26	कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी	शिवपुरी
22	श्री रूचिर शर्मा	ग्वालियर	27	कुमारी विनीता भटनागर	सीहोर
			28	श्री आलोक दुबे	हरदा
			29	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार टाडा	सैलाना
			30	श्री मनोज कुमार सिंह	सिरमौर
			31	श्री विवेक पटेल	सतना
			32	श्रीमती सिद्धि मिश्रा	पन्ना
			33	श्री प्रवीण शिवहरे	हरदा
			34	श्री विजय कुमार शर्मा	गौहरगंज
			35	श्रीमती ज्योति मिश्रा	मुंगावली
			36	श्री कैलाश नारायण अहिरवार	चंदेरी
			37	श्री वंदन मेहता	तराना
			38	कुमारी श्वेता गोयल	अशोकनगर
			39	श्री प्रवीण पटेल	जतारा
			40	श्री हेमंत कुमार अग्रवाल	शुजालपुर
			41	श्री प्रदीप कुमार दुबे	ग्वालियर
			42	श्री अहमद रजा	नरसिंहपुर
			43	श्री हरिओम अतलसिया	उज्जैन
			44	श्री आलोक मिश्रा	मुंगावली
			45	श्री हेमंत कुमार यादव	सुसनेर
			46	श्री इरशाद अहमद	रामपुर बघेलान
			47	कुमारी नीलम शर्मा	ग्वालियर
			48	श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया	नीमच
			49	श्री संजय कुमार शाही	जबलपुर
			50	श्री सुशील कुमार जोशी	इंदौर
			51	कुमारी रश्मिना परवेज मंसूरी	नीमच

जबलपुर, दिनांक 25 मई, 2011

क्रमांक 763-गोपनीय-2011-दो-3-70-60 (Part-III).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11 (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा:—

सारणी

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (जून.)	राघोगढ़
2	श्रीमती संगीता यादव	छिंदवाड़ा
3	श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर	भोपाल
4	श्री अभिषेक गौड़	उज्जैन
5	श्रीमती नीलम मिश्रा	दमोह
6	श्री अशोक भारद्वाज	दतिया
7	श्री धनेन्द्र सिंह परमार	गुना
8	श्री संजय अग्रवाल	ग्वालियर

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
52	श्री मनीष सिंह ठाकुर	लटेरी	97	श्री अमित भूरिया	इंदौर
53	श्री संजय कुमार गुप्ता (जून.)	इंदौर	98	श्री अरूण सिंह	आष्टा
54	श्री नीलेश यादव	गरोठ	99	श्री राकेश कुमार ठाकुर	जबलपुर
55	श्री हेमंत कुमार रघुवंशी	नौगांव	100	श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर	नारायणगढ़
56	श्री किशोर कुमार गहलोत	थांदला	101	श्री सुधीर सिंह ठाकुर	रीवा
57	श्री अनिल कुमार साहू	सिवनी	102	श्रीमती सविता ओगले	सीहोर
58	डॉ. कुमारी महजबीन खान	विदिशा	103	कुमारी संगीता रावत	सीहोर
59	श्री भगवानदास राठौर	श्योपुर	104	श्री निर्मल मन्दोरिया	मंदसौर
60	श्री अब्दुल कादिर मंसूरी	ग्वालियर	105	श्री दारासिंह मण्डलोई	हातोद
61	कुमारी रमा शिवहरे	भोपाल	106	श्री नरेश कुमार मीणा	पाटन
62	श्री चंद्रशेखर जयसवाल	सागर	107	कुमारी सरोज बाला डोडवाल	रायसेन
63	श्री हर्ष सिंह बहरावत	खण्डवा	108	श्री मानवेन्द्र पवार	बड़वानी
64	श्री दिनेश देवड़ा	पेटलावद	109	श्री आशीष प्रताप सिंह	भोपाल
65	श्री अमजद अली	भोपाल	110	कुमारी सोमप्रभा ठाकुर	जबलपुर
66	श्री निरंजन कुमार पांचाल	महू	111	श्री संतोष कुमार कोल	जबलपुर
67	श्री संदीप कुमार पाटिल	बालाघाट	112	श्री अजीत कुमार तिकी	सीहोर
68	श्री आदित्य रावत	ब्यावरा	113	श्रीमती वीणा खाल्को	सागर
69	श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा	अमरपाटन	114	श्री विजय कुमार सोनकर	कटनी
70	श्री विनोद कुमार पाटीदार	बंडा	115	श्रीमती सपना पोर्ते	रायसेन
71	श्री मातादीन रजक	पोहरी	116	श्री रश्मि बाल्टर	इंदौर
72	श्री सूरज सिंह राठौर	भीकनगांव	117	श्रीमती कविता इवनाती	बैहर
73	श्री शिवलाल केवट	डिण्डौरी	118	श्री अनिल चौहान	जावद
74	श्रीमती ऊषा तिवारी (बेड़िया)	भोपाल	119	श्री दिलीप सिंह	आष्टा
75	श्री नीरज मालवीय	कन्नौद	120	श्री किशोर कुमार निनामा	महेश्वर
76	श्री राधाकिशन मालवीय	सिहोरा	121	श्री तेज प्रताप सिंह	कटनी
77	कुमारी पदमा जाटव	विदिशा	122	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे	अनूपपुर
78	श्री भूपेन्द्र नकवाल	इंदौर	123	श्रीमती सुमन उइके	वारासिवनी
79	श्री आनंद जाम्भूलकर	खण्डवा	124	श्री विजय बहादुर सिंह	रीवा
80	श्री महेश कुमार चौहान	बड़वाहा	125	श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे	बैतूल
81	श्री विवेक कुमार चंदेल	रतलाम	126	श्री प्रदीप कुमार वरकडे	गढ़ाकोटा
82	कुमारी अनीता खजुरिया	होशंगाबाद	127	श्री ढीमरा कावड़े	बालाघाट
83	श्री राजेन्द्र देवड़ा	सीतामरु	128	श्री प्रकाश केरकेट्टा	खातेगांव
84	श्री सतीश कुमार टोप्पो	नरसिंहपुर	129	श्रीमती बरखा दिनकर	निवारी
85	श्री अनिल दण्डेलिया	पेटलावद	130	श्रीमती किरण कोल	मंझोली
86	श्री संतोष चौहान	जीरापुर	131	श्री राकेश जमरा	राजपुर
87	श्री दिनेश कुमार नोटिया	देवरी	132	श्री अर्शीवाद भिलाला	इंदौर
88	श्रीमती प्रेमा साहू	शाजापुर	133	श्री प्रणयदीप ठाकुर	खुरई
89	श्री अजय नील करोतिया	रहली	134	श्री अतुलराज भलावी	गाडरवारा
90	श्री गौतम कुमार गुजरे	गाडरवारा	135	श्री अमन सिंह भूरिया	नारायणगढ़
91	श्री दयाराम कुमरे	सिवनी	136	श्री गौतम भट्ट	नागदा
92	श्री अजय पेन्डाम	टोंकखुर्द	137	श्री वैभव सक्सेना	खण्डवा
93	श्रीमती अभिलाषा एन. मवार	बैरसिया	138	श्री नंदराम परमार	रतलाम
94	श्री प्रकाश डामोर	खरगौन			
95	श्री आनंद कुमार सहलाम	पाण्डुर्णा			
96	कुमारी समीक्षा सिंह	नरसिंहपुर			

क्र. 764-गोपनीय-2011-दो-3-70-60 (Part -III).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11 (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा:—

सारणी

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती रेखा मरकाम	सीधी
2	श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार	धार
3	श्री मनोज तिवारी	मण्डला
4	श्री अमित सिंह सिसोदिया	लखनादोन
5	श्री पंकज श्रीवास्तव	रतलाम
6	श्री जयंत शर्मा	मंदसौर
7	श्री अभिनव कुमार जैन	सीधी
8	श्री समरेश सिंह	इंदौर
9	श्रीमती रश्मि मिश्रा	भोपाल
10	कुमारी पल्लवी मिश्रा	ग्वालियर
11	श्री अमर गोयल	जौरा
12	कुमारी प्राची पटेल	नरसिंहपुर
13	श्री वरूण पुनासे	सागर
14	श्री देवेश उपाध्याय	भिण्ड
15	श्री कपिल नारायण भारद्वाज	जबलपुर
16	श्री आशीष डेनियल	बैठन
17	श्री सिद्धार्थ तिवारी	मुरैना
18	श्री भरत कुमार व्यास	खण्डवा
19	श्री जफर इकबाल	नसरूल्लागंज
20	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर)	ग्वालियर
21	श्री बृजेश गोयल	इंदौर
22	श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगरुषी	दतिया
23	श्री अरविंद कुमार शर्मा	रीवा
24	श्री अभिषेक सक्सेना	गुना
25	श्री विवेक शुक्ला	जबलपुर
26	श्री अतुल सक्सेना	बुरहानपुर
27	श्री हिमांशु शर्मा	शाजापुर
28	श्री नीरज कुमार सोनी	बड़ामलहरा
29	श्री मनीष कुमार लौवंशी	सागर
30	श्री आसिफ अहमद अब्बासी	सेवड़ा
31	श्रीमती मीनल श्रीवास्तव	बासोदा
32	श्री संदीप कुमार सोनी	जबलपुर

(1)	(2)	(3)
33	श्री मनीष भट्ट	मंदसौर
34	श्री अब्दुल्ला अहमद	त्यौंथर
35	श्री संजय वर्मा	भोपाल
36	श्री मनोज कुमार राठी	शाजापुर
37	श्री सुनील दण्डोटिया	ग्वालियर
38	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (जूनि.)	नागोद
39	श्री सूर्यप्रकाश शर्मा	सेंधवा
40	श्री अभिषेक गोयल	ग्वालियर
41	श्री राजेश कुमार तिवारी	पन्ना
42	श्री पंकज चतुर्वेदी	करेरा
43	श्री श्रीष कैलाश शुक्ल	जबलपुर
44	श्री वरीन्द्र कुमार तिवारी	जबलपुर
45	श्री अकबर शेख	बुरहानपुर
46	श्री विनोद कुमार शर्मा	ग्वालियर
47	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा	छतरपुर
48	श्री राकेश कुमार पाटीदार (सीनि.)	रतलाम
49	श्री सुधांशु सिन्हा	मैहर
50	श्री अमित कुमार गुप्ता	लौंडी
51	श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी	हरदा
52	श्री मुकेश नाथ	आगर
53	कुमारी ज्योति राजपूत	ग्वालियर
54	कुमारी शैलजा गुप्ता	मुरैना
55	श्री अविनाश शर्मा	सबलगढ़
56	श्री प्रशांत शुक्ला	भिण्ड
57	श्री राघवेन्द्र भारद्वाज	सबलगढ़
58	श्री तरूण सिंह	टीकमगढ़
59	श्री अब्दुल्लाह आसिफ	बैठन
60	कुमारी मंजुल दुबे	ग्वालियर
61	श्रीमती शिल्पा तिवारी	मुरैना
62	श्री धर्मेश भट्ट	बुढ़ार
63	श्री अजय रामावत	रतलाम
64	श्री माधव राव पटेल	उमरिया
65	श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग	चाचोड़ा
66	श्री सचिन जैन	ग्वालियर
67	श्री विवेक कुमार सिंह	सागर
68	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	भिण्ड
69	श्री गोपेश गर्ग	विदिशा
70	श्री विवेकानंद त्रिवेदी	रीवा
71	श्री हिमांशु कौशल	मुरैना
72	श्री इंदुकांत तिवारी	शिवपुरी
73	श्री रोहित सिंह	श्योपुर
74	श्री नीरज शर्मा	अम्बाह
75	श्री रोहित कटारे	लौंडी

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
76	श्री योगीराज पाण्डे	रीवा	119	श्री सुशील कुमार गौतम	ग्वालियर
77	श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा	रीवा	120	श्री उपदेश राठौर	ग्वालियर
78	श्रीमती आरती शर्मा	इंदौर	121	श्री रूपेश नायक	सिलवानी
79	सुश्री तृप्ति पाण्डे	इंदौर	122	श्री अनिल कुमार नामदेव	कटनी
80	श्री महेश कुमार झा	राजनगर	123	श्री विशाल अखण्ड	देवास
81	कुमारी नौशीन खान	सिवनी	124	श्री हेमराज सनोडिया	बैतूल
82	डॉ. सुधांशु सक्सेना	बागली	125	श्री संतोष सैनी	उज्जैन
83	श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया	ग्वालियर	126	श्री पवन कुमार पटेल	मुल्ताई
84	श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह	टीकमगढ़	127	श्री मुकेश रावत	ग्वालियर
85	श्री अफजल खान	मंदसौर	128	श्री सुरेश कुमार शर्मा	भोपाल
86	श्री आशीष दवंडे	भोपाल	129	श्री नदीम खान	भोपाल
87	श्री गौरव प्रज्ञानन	टीकमगढ़	130	श्री निवेश कुमार जयसवाल	गुना
88	श्री नीलेश कुमार जिरेती	जावरा	131	कुमारी मोनिका शाक्य	भोपाल
89	श्री विपिन सिंह भदौरिया	टीकमगढ़	132	श्रीमती वर्षा सिंह भाटी	इंदौर
90	श्री राजेश शर्मा	खरगौन	133	श्री हेमंत सविता	भोपाल
91	श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे	इंदौर	134	श्रीमती नजमा बेगम	उमरिया
92	श्री पारस कुमार जैन	भिण्ड	135	श्री आशीष ताम्रकार	भोपाल
93	श्री धर्मेन्द्र सोनी	बैरसिया	136	श्रीमकी सारिका गिरी शर्मा	भोपाल
94	श्री विवेक कुमार पाठक	टीकमगढ़	137	श्री रामसहारे राज	भोपाल
95	श्रीमती आरती ढींगरा	इंदौर	138	श्री राजेश कुमार यादव	छिंदवाड़ा
96	श्री युगल रघुवंशी	भोपाल	139	श्री महेन्द्र पाल सिंह	शुजालपुर
97	श्री स्वयम् प्रकाश दुबे	कटनी	140	श्री सिराज अली	बैतूल
98	श्री विशाल शर्मा	नरसिंहगढ़	141	श्री दिनेश सिंह राणा	लहार
99	श्री महेन्द्र मंगोदिया	बुरहानपुर	142	श्री कपिल सोनी	ब्यावरा
100	श्री निशिथ खरे	सांवेर	143	श्री कमलेश कुमार सोनी	देवास
101	श्री उमेश कुमार पटेल	सतना	144	श्रीमती शबनम कादिर मंसूरी	ग्वालियर
102	श्री राघवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	बासौदा	145	श्री कपिल वर्मा	संधवा
103	कुमारी रजनी बाथम	भोपाल	146	श्री राकेश कुमार पाटीदार (जूनि.)	उज्जैन
104	श्री विवेक बुखारिया	बासौदा	147	श्री माधव प्रसाद नामदेव	देवास
105	श्री संदीप कुमार जैन	बड़नगर	148	श्री पंकज जायसवाल	पन्ना
106	श्री जैनुल आबदीन	देवसर	149	श्री शिव कुमार कौशल	उज्जैन
107	श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव	छतरपुर	150	श्री सुभाष सुनहरे	मंदसौर
108	श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत	नौगांव	151	श्री अभिषेक नागराज	धार
109	श्री उत्सव चतुर्वेदी	ओरछा	152	श्री महेश लचोरिया	बालाघाट
110	श्री श्याम सुन्दर झा	जबलपुर	153	श्री रामप्रकाश अहिरवार	भिण्ड
111	श्री हरीश वानवंशी	गैरतगंज	154	श्रीमती संगीता तिवारी	इंदौर
112	श्री विवेक शिवहरे	खाचरौद	155	कुमारी पदमा राजोरे	भोपाल
113	श्री उमेश कुमार सोनी	मैहर	156	श्री प्रसन्न सिंह बहरावत	राजगढ़
114	श्री महेश कुमार माली	मंदसौर	157	श्री यशवंत मालवीय	इटारसी
115	श्री हरीश चन्द्र पटेल	उमरिया	158	श्री पवन कुमार संखवार	कटनी
116	श्री मनीष कुमार पाटीदार	खिलचीपुर	159	श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य	ग्वालियर
117	कुमारी चारूलता दांगी	गुना	160	श्री राजीव राव गौतम	करेरा
118	कुमारी उर्मिला यादव	जबलपुर	161	कुमारी सरिता जतारिया	भिण्ड

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
162	श्री दिनेश कुमार प्रजापति	बिजावर	205	श्री कमलेश कुमार कोल	सागर
163	श्री विकास चौहान	धरमपुरी	206	श्री संजीव कटारे	जावरा
164	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवेतिया	नरसिंहपुर	207	श्री लक्ष्मण डोडवे	खण्डवा
165	श्री रविकांत सोलंकी	आगर	208	श्री दीप नारायण सिंह	वारासिवनी
166	कुमारी संगीता भारती	उज्जैन	209	कु. चैनवती धुर्वे	मण्डला
167	श्री सुनील अहिरवार	उज्जैन	210	श्री रवीन्द्र कुमार धुर्वे	गाडरवारा
168	श्री चंदन सिंह चौहान	सनावद	211	श्री सदाशिव दांगौडे	धार
169	श्री हेमंत सिंह	देपालपुर	212	श्री महेन्द्र सिंह ताराम	नौगांव
170	कुमारी सपना भारती	अलीराजपुर	213	श्री राम सिंह बघेल	झाबुआ
171	श्रीमती अपर्णा राजेश शर्मा	खरगौन	214	श्री परमानंद चौहान	उज्जैन
172	श्री कौशल किशोर वर्मा	डबरा	215	श्री कलम सिंह मेड़ा	सरदारपुर
173	श्रीमती प्रीति साल्वे	ग्वालियर	216	श्री हीरालाल अलावा	झाबुआ
174	श्री जयदीप सोनबर्से	बैहर	217	कु. दुर्गा डुडवे	झाबुआ
175	कुमारी ज्योति डोंगरे	सोनकच्छ	218	श्री भारत सिंह कनेल	पिपरिया
176	श्री कमलेश भरकुंडिया	महिदपुर	219	श्री धन कुमार कुडोपा	बैतूल
177	कुमारी रीतू वर्मा	भोपाल	220	श्री अरविंद सिंह टेकाम	पवई
178	श्रीमती मंजू सिंह	इंदौर	उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.		
179	श्री मनीष कुमार सिंह	छतरपुर	Jabalpur, the 22nd May 2011		
180	श्री आलोक प्रताप सिंह	इंदौर	No. 123-CJ-II-751.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the, Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. D/3894, dated 30th October, 2009 of Shri A. P.Rahul, the then Chief Judicial Magistrate, Indore, (presently under suspension with headquarters at Sehore) with immediate effect.		
181	श्री लोकेन्द्र सिंह	भोपाल	By order of the High Court, K.D.KHAN, Principal Registrar, /Inspection & Vigilance.		
182	श्री राजकुमार चौहान	जोबट	उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर		
183	श्री कृष्णपाल सिंह	ब्यौहारी	जबलपुर, दिनांक 2 मई 2011		
184	श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी	छिंदवाड़ा	क्र. 164-स्था-सैट-2011.—श्री हरीश कांत दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर को दिनांक 28 अप्रैल 2011 से 5 मई 2011 तक कुल आठ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही पूर्व, पश्चात में पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.		
185	श्रीमती अर्चना बोडे	शहडोल	अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.		
186	कुमारी सीता कानौजे	गरोठ	उक्त अवकाश से लौटने पर श्री हरीश कांत दुबे को अस्थाई रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.		
187	श्री चौधर सिंह सैयाम	बालाघाट	रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार, ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार कम पी.पी.एस.		
188	कुमारी कल्पना मरावी	मुलताई			
189	श्री सज्जन सिंह सिसोदिया	मंदसौर			
190	श्री शिवमोहर सिंह	सिहोरा			
191	श्री संजय कुमार भलावी	होशंगाबाद			
192	श्री महेन्द्र कुमार उइके	मण्डला			
193	श्री चन्द्र सेन मुवेल	बेगमगंज			
194	श्री पुंजिया बारिया	उज्जैन			
195	श्री संतोष बघेल	महिदपुर			
196	श्री अमर सिंह सिसोदिया	कुशी			
197	श्री गौतम सिंह मरकाम	आमला			
198	श्री प्रवीण कुमार सोंधिया	कोतमा			
199	कु. रंजीता सोलंकी	उज्जैन			
200	कु. संध्या मरावी	छिंदवाड़ा			
201	श्री सुरेश सिंह जमरा	दमोह			
202	कु. शोभना भलावे	छिंदवाड़ा			
203	श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार	नलखेड़ा			
204	श्री रूप सिंह कनेल	भोपाल			

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 मई, 2011

क्र. 740-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती	पोहरी	शिवपुरी	शिवपुरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
2	श्री तनवीर अहमद खान	शिवपुरी	पोहरी	शिवपुरी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती के स्थान पर.

क्र. 744-गोपनीय-2011-दो-2-88-2006.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में उल्लेखित सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय/पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तंभ (6) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री जे. एस. सेंगर, सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, भोपाल.	भोपाल	इंदौर	इंदौर	सदस्य न्यायाधीश, क्रमांक-1, औद्योगिक न्यायालय, इंदौर की हैसियत से श्री वी. के. कोष्ठी के स्थान पर.
2	श्री वी. के. कोष्ठी, सदस्य न्यायाधीश, क्रमांक-1, औद्योगिक न्यायालय, इंदौर.	इंदौर	भोपाल	भोपाल	सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री जे. एस. सेंगर के स्थान पर.
3	श्री पी. के. त्रिवेदी, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर.	इंदौर	भोपाल	भोपाल	पीठासीन अधिकारी, क्रमांक-2, श्रम न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री रविकांत स्वर्णकार के स्थान पर.
4	श्री रविकांत स्वर्णकार, पीठासीन अधिकारी, क्रमांक-2, श्रम न्यायालय, भोपाल.	भोपाल	इंदौर	इंदौर	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर की हैसियत से श्री पी. के. त्रिवेदी के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	श्री साहेब राव चारे, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बैतूल.	बैतूल	बालाघाट	बालाघाट	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बालाघाट की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री कुबेर चन्द यादव, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा.	रीवा	सीधी	सीधी	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7	श्री सुबीर कुमार यादव, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा.	खण्डवा	धार	धार	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, धार की हैसियत से श्री आत्माराम खेरिया के स्थान पर.
8	श्री आत्माराम खेरिया, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, धार.	धार	खण्डवा	खण्डवा	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा की हैसियत से श्री सुबीर कुमार यादव के स्थान पर.

टिप्पणी:—श्री सुबीर कुमार यादव, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा का स्थानांतरण उनके स्वयं के निवेदन पर किया गया है, इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.

जबलपुर, दिनांक 23 मई, 2011

क्र. 753-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को पदोन्नति पर उनके नामों के समक्ष स्तंभ क्रमांक (4) में अंकित स्थान एवं स्तंभ क्रमांक (6) में अंकित पद पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से वेतनमान रुपये 43,690—1080—49,090—1230—56,470/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 को उनके नामों के समक्ष स्तंभ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कु. शारदा नहाटे	बिजावर	बिजावर	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय की हैसियत से.
2	श्री चन्द्रमोहन उपाध्याय	मैहर	मैहर	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
3	श्री अजय कुमार सिंह	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	श्रीमती सविता सिंह	इंदौर	इंदौर	इंदौर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
5	श्री बलराज कुमार पालोदा	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट की हैसियत से.
6	श्री सुरेश चन्द्र पाल	धार	धार	धार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
7	श्री प्रदीप सोनी	डबरा	डबरा	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
8	श्री विष्णु कुमार सोनी	भोपाल	भोपाल	भोपाल	तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
9	श्री माखनलाल झोड़	बैढ़न	बैढ़न	सिंगरौली	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट की हैसियत से.
10	श्री लीलाधर सोलंकी	सीतामऊ	सीतामऊ	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
11	श्री रामलक्ष्मण करोरिया	मेहगांव	मेहगांव	भिण्ड	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
12	श्री तरूण राकेश स्टेन्डली	सारंगपुर	सारंगपुर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
13	श्री जगदीश चन्द्र राठौर	जावद	जावद	नीमच	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
14	श्री कृपा शंकर शाक्य	महू	महू	इंदौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा	पिपरिया	पिपरिया	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
16	श्री ठाकुरदास	डबरा	डबरा	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय की हैसियत से.
17	श्रीमती नोरिन निगम	रतलाम	रतलाम	रतलाम	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट की हैसियत से.
18	श्री महिपति सिंह रावत	खातेगांव	खातेगांव	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
19	श्रीमती किरण सिंह	अमरपाटन	अमरपाटन	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
20	श्री संजय कुमार कस्तवार	मऊगंज	मऊगंज	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
21	श्री मोहम्मद अजहर	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़	राजगढ़ (ब्यावरा)	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
22	श्री गिरीश दीक्षित	मुंगावली	मुंगावली	अशोकनगर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
23	श्री जाकिर हुसैन	मुलताई	मुलताई	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय की हैसियत से.
24	कुमारी निवेदता मुदगल	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
25	श्रीमती मनीषा बसेर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	श्री संतोष प्रसाद शुक्ला	बुढ़ार	बुढ़ार	शहडोल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
27	श्री आशुतोष मिश्रा	इंदौर	इंदौर	इंदौर	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
28	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर)	लहार	लहार	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय की हैसियत से.

क्र. 754-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के पदधारक वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके वर्तमान पद पर रहते हुए, उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 753-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए) जबलपुर, दिनांक 23 मई, 2010 के अनुक्रम में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से वेतनमान रुपये 43,690—1080—49,090—1230—56,470/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

1. श्री राजेन्द्र चौरसिया, उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल.
2. श्री विजय सिंह कावछा, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मंदसौर.

क्र. 755-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की धारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राम कुमार डेहरिया	निवास	निवास	मण्डला	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2011

क्र. 625-गोपनीय-2011-दो-3-250/57(भाग-29).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है, और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (बी) 1/2010/21-ब (एक) मेरिट क्रमांक-), दिनांक 11 अप्रैल, 2011 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अतुल यादव	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रतलाम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री विजय चौहान	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, धार के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 28 मई, 2011

क्र. 793--Confdl.-2011-II-2-36-07.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित श्रम न्यायाधीश (एंट्री लेवल), श्रम न्यायालय को श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित पद पर नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) में नियुक्ति दिनांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रविकांत स्वर्णकार, श्रम न्यायाधीश, इंदौर	21-05-2011	श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 23 मई 2011

क्र. ए-1206-तीन-6-2-2011.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपः, विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पारस कुमार जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भिण्ड	भिण्ड
2	श्री देवेश उपाध्याय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भिण्ड	भिण्ड
3	श्री मनीष शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गोहद	भिण्ड
4	श्री मोह. अरशद, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मेहगांव	भिण्ड
5	श्री तेज प्रताप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कटनी	कटनी
6	श्री विजय कुमार सोनकर, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कटनी	कटनी
7	श्री स्वयं प्रकाश दुबे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कटनी	कटनी
8	श्री अनिल कुमार नामदेव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कटनी	कटनी
9	श्री पवन शंखवार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कटनी	कटनी
10	श्री चंद्र शेखर जायसवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सागर	सागर
11	श्री विवेक कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सागर	सागर
12	श्री मनीष कुमार लोवंशी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सागर	सागर
13	श्री विनोद कुमार पाटीदार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	बण्डा	सागर
14	कु. प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	शिवपुरी	शिवपुरी
15	श्री शशांक खरे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	विदिशा	विदिशा

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 4744-दस-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोकहित में नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में दर्शाए अनुसार ताप विद्युत् परियोजना के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध एवं भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—कोतमा

(ग) नगर/ग्राम—छतई

(घ) लगभग क्षेत्रफल 60.438 हेक्टर.

एनर्जी अनूपपुर प्रा. लि., 1320 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत् परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

ग्राम छतई, पटवारी हल्का का नाम—मझौली हल्का नं. 15

ज. न. 308 राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र बिजुरी,

तहसील—कोतमा, जिला—अनूपपुर (म. प्र.)

खसरा नम्बर

रकबा

(हे में)

(1)

(2)

314/1

0.902

314/2

0.243

314/3

0.207

314/4

0.396

314/5

0.227

315

1.773

(1)

(2)

317 अंश भाग

0.405

318 अंश भाग

0.405

331/1

0.121

331/2 अंश भाग

0.259

331/3

0.121

333

0.874

335

0.138

336/1

0.607

336/2

2.514

336/3

0.242

336/4

0.607

355 अंश भाग

0.256

356/1

0.226

356/2

0.225

356/3

0.225

357

0.202

358/2

1.588

359/1

0.129

359/2

0.029

359/3

0.101

361

0.955

363

1.104

364

0.129

365/1/1

0.607

365/1/2

0.842

365/1/3

0.324

365/2क

0.129

365/2ख

0.130

366

0.162

367

1.072

368

0.202

369

0.809

370

0.405

372

0.247

373

0.093

374

0.425

375

0.202

376/1

0.340

376/2

0.558

377

0.223

378

0.583

(1)	(2)
380	1.279
381	0.259
382/1	0.036
382/2	0.037
382/3	0.032
382/4	0.037
383	0.668
384	0.813
385	0.061
386	0.202
387/1	0.575
387/2	0.065
387/3	0.582
387/4	0.579
388	0.324
389	0.154
390/1	0.214
390/2	0.304
391	0.741
392	0.324
393	0.324
394	0.833
395	1.655
396	0.781
399	0.466
401	2.570
404 अंश भाग	0.202
414	0.348
415	0.291
416	0.405
417	0.380
418	1.072
420	1.333
421	1.015
454	2.310
455	0.202
456/2	0.809
457	0.607
459	13.128
460/1	0.929
460/2	0.929
कुल योग . . .	<u>60.438</u>

(2) कम्पनी प्रयोजन का वर्णन—1320 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4745-दस-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोकहित में नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में दर्शाए अनुसार ताप विद्युत् परियोजना के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध एवं भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
 (ख) तहसील—कोतमा
 (ग) नगर/ग्राम—उमरदा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल 131.730 हेक्टर.

वेलस्पन एनर्जी अनूपपुर प्रा. लि., 1320 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत् परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

ग्राम—उमरदा पटवारी हल्का का नाम—मझौली, हल्का नं. 15, ज. न. 23 राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र बिजुरी, तहसील—कोतमा, जिला अनूपपुर (म. प्र.)

खसरा नम्बर	रकबा (हे में)
(1)	(2)
1/1	0.405
1/2	0.578
2	1.218
3	1.437
4	0.320
5	0.478
6	1.133
7/1/क	0.696
7/1/ख	0.405
7/2	1.092

(1)	(2)	(1)	(2)
8/1क	0.053	39	0.841
8/1ख	0.433	40	1.803
8/2	0.485	42/1	0.506
9/1	1.251	42/2	1.376
9/2	1.724	43	0.291
10	1.552	44	0.559
11/1	0.097	45	0.077
11/2	0.745	46	0.926
13	0.441	47/1	0.166
14/1क	0.219	47/2	0.089
14/1ख	0.809	48	0.745
14/2	0.405	49/1	0.049
15	0.890	49/2	0.056
16/2	1.214	50/1	0.202
19/1	1.486	50/2	0.324
19/2	0.534	51/1	0.526
20/2	1.619	51/2	0.733
21	1.497	52	0.016
22/1	0.178	53	0.709
22/2	0.178	54/2	0.809
24	0.603	54/3	0.405
25/1	0.461	55	0.077
25/2क	1.675	56/1/क/1	0.506
25/2ख	0.809	56/1/क/2	0.506
25/3क	0.405	56/1/क/3	0.676
25/3ख	0.809	56/1/क/4	0.693
25/4	0.405	56/2	0.405
25/5	0.405	57/1	0.829
26	0.283	57/2	0.835
27/2	0.607	58	2.205
28	0.862	59	1.882
29/1	0.737	60/1ख	0.809
29/2	0.433	60/1ग	0.809
30	0.150	61/1	1.251
31	0.105	61/2	0.109
32/1	0.109	62	1.566
32/2	0.262	63	0.020
33	0.251	64	0.890
34	0.259	65/1/क	0.239
35/1	0.422	65/1/ख	0.238
35/2	0.210	65/2	0.482
36	0.182	66/1	1.692
37	1.053	66/2	1.444
38	0.113	66/3	0.251

(1)	(2)	(1)	(2)
67	2.327	100/1	0.243
68	0.227	100/2	0.243
69	0.789	101	0.186
70	0.263	102/1क	0.087
71	1.805	102/1ख	0.087
72/1	3.589	102/2	0.324
72/2	0.304	103	0.376
73	0.401	104	0.178
74	0.077	105	0.223
75/1	0.101	106/1	0.421
75/2	0.101	106/2	0.231
76	0.271	107	0.466
77	0.510	108	0.316
79/1	0.420	109/1	0.401
79/2	0.421	109/2	0.093
80	0.259	110	0.146
81/1क	0.129	111	0.113
81/1ख	0.129	112/1	0.225
81/1ग	0.131	112/2	0.742
81/2	0.303	112/3	0.125
81/3	0.106	113/1	0.101
81/4	0.129	113/2	0.101
82	0.943	114	0.352
83	0.105	115	0.174
84/1	2.134	116	0.101
84/2	1.113	117	4.120
85/1	0.943	119	1.578
85/2	0.943	120	0.352
87	0.672	121/1	0.040
88/1क	2.461	121/2	0.041
88/1ख	1.618	122	0.789
88/2	1.862	123	2.298
89	0.194	124	0.279
90/1	0.332	125/1	1.315
90/2	0.332	128	1.161
91	2.136	129	0.413
92	2.205	141 अंश भाग	0.889
93	0.425	145	1.117
95/1	1.911	146	3.257
96/1	0.101	147	2.364
96/2	0.101	148	0.802
97	0.858	151	0.603
98/1	0.143	152/1क 1	0.831
98/2	0.144	152/1क 2	0.809
99	0.287		

(1)	(2)	(1)	(2)
152/1 ख	0.202	2/1	7.134
152/2	1.214	2/2	0.526
152/3	0.508	3	0.166
153	0.421	4/1	0.455
154	0.308	4/2	0.202
155	0.405	4/3	0.081
कुल योग . .	<u>131.730</u>	4/4	0.457
(2) कम्पनी प्रयोजन का वर्णन—1320 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना.		5/1	0.405
		5/2	0.508
		5/3 क	0.116
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.		5/3 ख	0.571
		5/4	0.694
		5/5	0.246
		6	0.057
		8	2.432
		9	0.284
		10	4.217
		11	2.468
		12	0.316
		13	0.267
		14/1	0.089
		14/2	0.219
		15	1.072
		16/1	0.134
		16/2	0.133
		17	0.405
		18/2	0.405
		20/2	0.202
		21	0.121
		22/1क/1	0.426
		22/1क/2	0.180
		22/1ख	0.405
		22/2	0.438
		22/3	0.364
		22/4	0.817
		23	0.061
		24	0.061
		25/1	0.065
		25/2	0.065
		26	0.150
		27/1	0.275
		27/2	0.113
		28/1	0.344
		28/2	0.121
		29	0.154

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—कोतमा

(ग) नगर/ग्राम—मझटोलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल 119.028 हेक्टर.

वेलस्पन एनर्जी अनूपपुर प्रा. लि., 1320 मेगावाट क्षमता ताप

विद्युत परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली

भूमि का विवरण

ग्राम—मझटोलिया, पटवारी हल्का का नाम—मझौली,

हल्का नं. 15, ज. न. 844 राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र

बिजुरी, तहसील—कोतमा, जिला अनूपपुर (म. प्र.)

खसरा नम्बर

रकबा

(हे में)

(1)

(2)

1

1.056

(1)	(2)	(1)	(2)
30	0.329	63	0.182
31	1.023	64	0.769
32/1	0.182	65/1	2.955
32/2	0.182	65/2	0.920
33	0.089	66/1	1.284
34	0.162	66/2	1.998
35	0.065	67/1	2.767
36	0.134	68	0.462
37	0.348	69	3.889
38	0.905	70	0.672
39/1	0.712	71	1.343
39/2	0.283	72	0.340
40/1	1.024	73/1	0.170
40/2	0.729	73/2	0.170
41	0.202	74	0.340
42	0.162	75	0.405
43	0.142	76/1	0.419
44	0.093	76/2	0.418
45	0.243	77	0.433
46	0.914	78/1	0.054
47	0.372	78/2	0.124
48	1.619	79	0.890
49	0.190	80	0.890
50	0.611	82	0.809
51	0.214	83	0.089
52/1	1.736	84	0.607
52/2	0.433	85	0.336
52/3	0.324	86	1.149
52/4	0.506	87/1	0.036
53	0.684	87/2	0.053
54	0.922	87/3	0.135
56	0.328	87/4	0.020
57/1	0.609	87/5	0.132
57/2	0.609	88	0.162
58	0.344	89/1	0.583
59/1	0.473	89/2	0.364
59/2	0.405	89/3	0.364
60/1	0.688	90	0.129
60/2	0.121	91	0.975
61/1	0.164	92	0.417
61/2	0.164	93/1	0.138
62/1	0.226	93/2	0.137
62/2	0.224		
62/3	0.226		
62/4	0.226		

(1)	(2)	(1)	(2)
94	0.170	129	0.202
95	0.364	130/1	0.324
96	0.445	130/2	0.324
97	0.243	131	0.324
98	1.364	132/1	2.145
99	0.182	132/2	0.566
100	1.664	132/3क	0.101
101	0.308	132/3ख	0.101
102	0.445	133	1.149
103	0.308	134	0.146
104	1.048	135	1.886
106	1.084	136	0.809
107	1.181	137 अंश भाग	1.942
108	0.761	139	0.263
109	1.056	147/1 अंश भाग	1.412
110	0.405	147/2	0.545
111/1	0.162	147/3क	0.133
111/2	0.567	147/3 ख	0.809
111/3	0.416	148	0.251
112	0.579	150/1	0.061
113	0.595	150/2	0.057
114	0.433	151	0.587
115	0.757	152	0.348
116	0.409	153 अंश भाग	0.705
117	0.235	154 अंश भाग	0.607
118	0.219	155	0.607
119/1	0.764	164 अंश भाग	0.796
119/2	0.243		
120	0.235		कुल योग . <u>119.028</u>
121	0.474	(2) कम्पनी प्रयोजन का वर्णन—1320 मेगावाट थर्मल पावर	
122	0.611	प्रोजेक्ट की स्थापना.	
123	1.091		
125/1	1.137	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर की	
125/2/क	0.202	भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	
125/2/ख	0.911	कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा	
126	1.769	सकता है.	
127	0.376	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
128	0.267	कवीन्द्र क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	